[2011] 4 एस.सी.आर. 312

शिव शंकर सिंह
बनाम
झारखंड राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 791-792/2005)
15 फरवरी, 2011
[वी.एस. सिरपुरकर और टी.एस. ठाकुर, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 302 सपठित धारा 34- हत्या - व्यक्ति को सड़क पर गोली मार दी गई, जबकि वह अ. सा. 16 द्वारा संचालित मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा था - अपीलकर्ता एस ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिलअ. सा.16 के बाईं ओर चलाई थी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अपीलकर्ता यू ने मृतक पर करीब से गोलियां चलाईं - आरोप है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता कोयला माफिया का हिस्सा थे और मृतक, राज्य विधान सभा का एक मौजूदा सदस्य था, उसे क्रोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने उनकी गतिविधियों का विरोध किया था। - अ. सा.16 और अ. सा.6 का प्रत्यक्षदर्शी - विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड तक बढ़ा दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित: मृतक को माना जाता था अपीलकर्ताओं को उनकी गतिविधियों में बाधा के रूप में - सभी साक्षियों के बयान संतोषजनक ढंग से साबित करते हैं कि अपीलकर्ताओं को घटना की तारीख पर घटना स्थल के आसपास घूमते देखा गया था और जिस समय मृतक को गोली मार दी गई थी, उसके करीब मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया था। - जब्ती साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष की बात की पुष्टि की - चिकित्सा साक्ष्य से और पुष्टि - अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप में अंतर्निहित घटनाओं का क्रम - दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया लेकिन सजा को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास में उपांतरित कर दिया गया।

आपराधिक मुकदमे:

हेतु - हेतु के सबूत का महत्व - उन मामलों के बीच अंतर जहां अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है और जहां यह प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर निर्भर करता है -अभिनिर्धारित: मामलों की पूर्व श्रेणी में, हेतु का सबूत स्वयं परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी का गठन करता है जिस पर अभियोजन भरोसा कर सकता है -यद्दपि, हेतु का सबूत उन मामलों में पृष्ठभूमि में चला जाता है जहां अभियोजन पक्ष घटनाके प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर भरोसा करता है - ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय, प्रत्यक्षदर्शी के बयान का उचित मूल्यांकन करती है, इस निष्कर्ष पर

पहुंचता है कि उनके द्वारा दिया गया कथन विश्वसनीय है, हेतु को साबित करने के लिए सबूतों की अनुपस्थिति अप्रासंगिक हो जाती है - इसके विपरीत, भले ही अभियोजन अपराध के कारित करने के लिए एक मजबूत हेतु स्थापित करने में सफल हो, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का सबूत- साक्षियों को अविश्वसनीय या श्रेय के अयोग्य पाया जाता है, किसी हेतु का अस्तित्व अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान नहीं करता है - हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उस मामले में भी हेतु का सबूत है जो प्रत्यक्षदर्शी पर आधारित है। अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती नहीं देता है या न्यायालयको उसके अंतिम निष्कर्ष में मजबूत नहीं करता है - ऐसी स्थिति में हेतु का सबूत निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष की मदद करता है और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का समर्थन करता है - तत्काल मामला प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर निर्भर करता है, इसलिए, हेतु की अनुपस्थिति अपने आप में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं लाएगी, लेकिन अगर कोई हेतु साबित हो जाता है तो यह अभियोजन कथन को समर्थन देगा - अभियोजन पक्ष ने यहां अपने आरोप को मजबूत करने के लिए हेतु स्थापित किया है अभियुक्त-अपीलकर्ता।

साक्षी की जांच - जांच में देरी - प्रभाव - निर्धारित: किसी विशेष साक्षी की जांच में केवल देरी, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में, अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनाती है - ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विशेष साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन वह उसकी जांच नहीं करता है।

ऐसी किसी चूक के लिए किसी भी संभावित स्पष्टीकरण के बिना, देरी को महत्व दिया जा सकता है और न्यायालय को साक्षी के कथन की बारीकी से जांच और मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है - लेकिन ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी, ऐसे साक्षी की जांच में देरी से वास्तव में साक्षी की गवाही संदिग्ध नहीं होगी या अभियोजन कथन प्रभावित नहीं होगा - तत्काल मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पेश किए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था, देरी के लिए जांच अधिकारी - अलग दृष्टिकोण अपनाने या साक्षी की गवाही को केवल इसलिए खारिज करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसका बयान घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था।

पहचान - पहचान परीक्षण परेड (टी.आई.पी) - का उद्देश्य -अभिनिर्धारित: टी.आई.पी साक्ष्य की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दृष्टि से आयोजित की जाती है - इस तरह की टी.आई.पी.न्यायालय में साक्षी को पुष्टि प्रदान करती है जो अन्यथा अज्ञात अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है उसे -टी.आई.पी, इसलिए, जांच के दायरे में रहता है - हालांकि, द. प्र. सं., जांच एजेंसी को आवश्यक रूप से टी.आई.पी रखने के लिए बाध्य नहीं करता है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत अभियुक्त टी.आई.पी रखने के अधिकार का दावा कर सके- विफलता

इस दृष्टि से, जांच एजेंसी द्वारा टी.आई.पी रखने से न्यायालय में पहचान के सबूतों को कमजोर करने का प्रभाव नहीं पड़ता है - इस तरह की पहचान से जुड़ा महत्व क्या होना चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय में निर्धारित करेगा। प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ - उपयुक्त मामलों में, न्यायालय पुष्टिकरण पर जोर दिए बिना भी न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है - तथ्यों पर, अ. सा. 16 को टी. आई. पी. के साथ जोड़ने की जाँच एजेंसी की चूक जिसमें अ. सा.16ने अभियुक्तों की पहचान की- अपीलकर्ता यू ने अभियोजन पक्ष के मामले के लिए कानूनी रूप से घातक साबित नहीं किया, हालांकि जांच एजेंसी उक्त साक्षी को भी टी.आई.पी के साथ जोड़ सकती थी और उसे वास्तव में ऐसा करना चाहिए था, खासकर तब जब साक्षी ने घटना से पहले अभियुक्त-यू के साथ परिचित होने का दावा नहीं किया था - चूंकि न्यायालय में अ. सा. 16 द्वारा उक्त अपीलकर्ता की पहचान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं किया - ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से घटना हुई थी और अ. सा. 16 के पास अपीलकर्ता यू के कार्यों को देखने और निरीक्षण करने का अवसर पर्याप्त था साक्षी द्वारा न्यायालय में उसकी पहचान करने के लिए- टी.आई.पी. की अनुपस्थिति और जांच अधिकारी की साक्षी को उसके साथ जोड़ने में विफलता, इसलिए, तत्काल मामले में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया।

जांच - जांच में कमियां - अभियोजन मामले पर प्रभाव - माना गया: जाँच अभिकरण की ओर से चूक और चूक के माध्यम से जांच में कमियां अभियोजन मामले की पूर्ण अस्वीकृति को उचित नहीं ठहरा सकती हैं - तथ्यों पर, झूठ खून से सने कपड़ों को एफ.एस.एल. और खाली कारतूसों को प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के पास भेजने में जांच अधिकारी का हिस्सा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयान को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर तब, जब प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के संदर्भ की ज्यादा प्रासंगिकता नहीं रही होगी। जिस हथियार से गोलियां चलाई गईं, वह अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था और इसलिए, विशेषज्ञ द्वारा तुलना के लिए उपलब्ध नहीं था।

सज़ा/दंड -मृत्युदंड - यदि आवश्यक हो तो आजीवन कारावास - दुर्लभतम' परीक्षण - राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य की हत्या - अभियुक्त-अपीलकर्ता कोयला माफिया का हिस्सा थे और मृतक ऐसी गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। हत्या - विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया, लेकिन इसे दुर्लभतम मामला नहीं पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड की चरम सजा देकर सजा बढ़ा दी - क्या वर्तमान मामला इनमें से एक था वे दुर्लभ से दुर्लभतम मामले जहां उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं पर मृत्युदंड की अत्यधिक सजा लगाने को उचित ठहराया था - नहीं - कारण, सबसे पहले, क्योंकि अपीलकर्ता पेशेवर हत्यारे नहीं थे - दूसरे, क्योंकि जब मृतक एक राजनेता था तब भी कोई राजनीतिक नहीं

था।उसकी हत्या को लेकर एक दृष्टिकोण बताया गया है - तीसरा, क्योंकि हत्या की श्रेणी में आने वाली सभी गैर इरादतन हत्याएं अमानवीय हैं, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हैं, फिर भी इसके निष्पादन के तरीके में कुछ भी विशेष क्रूर, वीभत्स, शैतानी, विद्रोही या नृशंस नहीं था। समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा करना या अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की ओर से अत्यधिक दंड की मांग करना - चौथा, क्योंकि दंड के सवाल पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच मतभेद था दोषियों को दी जाने वाली दंड - सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ता कोयला माफिया का हिस्सा थे और मृतक, झारखंड राज्य विधानसभा के उपस्थितसदस्य, उनकी गतिविधियों का विरोध करता था और इस विरोध के कारण, अपीलकर्ताओं ने मृतक को सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी।जब वह अ. सा.16-सूचक द्वारा संचालित मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा था।यह आरोप लगाया गया था, कि अभियुक्त -अपीलकर्ता एस ने अपनी मोटरसाइकिलअ. सा.16 की मोटरसाइकिल के बाईं ओर चलाई, जिसके बाद अभियुक्त -अपीलकर्ता यू, जो पीछे की सीट पर बैठा था, ने मृतक के सिर पर करीब से गोली मार दी, जिस पर वह अ. सा.16 की पीठ पर गिर गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। उसकी मोटरसाइकिल और उन दोनों को जमीन पर लाना; उसके बाद अपीलकर्ता-एस द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल को उसके द्वारा थोड़ा आगे रोका गया, जिसके बाद अपीलकर्ता-यू नीचे उतरा और अ. सा. 16 को धमकी दी कि उसे भी मार दिया जाएगा;इतनी धमकी दी गई कि अ. सा. 16 उस स्थान से तेजी से भाग गया जिसके बाद अपीलकर्ता यू ने मृतक पर एक और गोली चलाई, उसके शव को सड़क के किनारे ढलान से नीचे धकेल दिया, मोटरसाइकिल पर वापस चला गया जिसका इंजन अपीलकर्ता-एस द्वारा चालू रखा गया था और वे दोनों भाग गए। हत्या के कारण हुई, मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई ।

अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से अ. सा.16 और अ. सा.6 की प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर निर्भर था, अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त दो प्रत्यक्षदर्शी की साक्षी को समर्थन और पुष्टि देने के लिए बुलाए गए आपत्तिजनक परिस्थितियों के अलावा। विचारण न्यायालयने अपीलकर्ताओं को भा.द.वि की धारा 302सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपीलकर्ता यू को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अतिरिक्त रूप से दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ताओं की सजा को उच्च न्यायालय ने बहाल रखा था। तत्काल अपीलों में, विचार के लिए विभिन्न प्रश्न उठे। (1) क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध को अंजाम देने का कोई हेतु साबित किया है और यदि हां तो किस प्रभाव से; (2) क्या अभियोजन उचित संदेह से परे साबित हुआ, घटनाओं का क्रम जिस पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाया गया

हत्या का आरोप आधारित था और अंततः (3) क्या वर्तमान मामला उन दुर्लभतम मामलों में से एक था जिसमें उच्च न्यायालय कर सकता था अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड की कठोर सजा दी गई।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय नेअभिनिर्धारित किया :

1.1. अभियुक्त के अपराध को सामने लाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता हेतु सबूत के संबंध में कानूनी स्थिति काफी अच्छी तरह से तय है। उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर है जहां एक ओर अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है और दूसरी ओर जहां यह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की गवाही पर निर्भर करता है।

मामलों की प्रथम श्रेणी हेतुसाक्ष्य को वह महत्व दिया जाता है जिसका वह हकदार है, क्योंकि साक्ष्यहेतु खुद परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी का गठन करता है जिस पर अभियोजन भरोसा कर सकता है। यद्यपि, साक्ष्य हेतु पृष्ठभूमि में चला जाता है: ऐसे मामलों में जहां अभियोजन घटना के प्रत्यक्षदर्शी पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि न्यायालय प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान का मूल्यांकन इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उनके द्वारा दिया गया कथन विश्वसनीय है, मकसद को साबित करने के लिए सबूतों की अनुपस्थिति को महत्वहीन बना दिया गया है। इसके विपरीत, भले ही अभियोजन अपराध करने के लिए एक मजबूत हेतुस्थापित करने में सफल हो, लेकिन प्रत्यक्षदर्शीसाक्षियों के साक्ष्य अविश्वसनीय या श्रेय के योग्य नहीं पाए जाते हैं, हेतु का अस्तित्व अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान नहीं करता है। यद्दपि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामले में भी, जो प्रत्यक्षदर्शीपर आधारित है, हेतु का साक्ष्य अभियोजन मामले को मजबूती नहीं देता है या न्यायालय को उसके अंतिम निष्कर्ष में

मजबूत नहीं करता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यहेतु निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष की मदद करता है और प्रत्यक्षदर्शीसाक्षियों का समर्थन करता है।[पैरा 13] [337-डी-एच; 338-ए]

1.2. मामला घटना के प्रत्यक्षदर्शी के अभिसाक्ष्यपर आधारित है। इसलिए साक्ष्य की अनुपस्थिति से अपने आप में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मकसद वास्तव में साबित हो जाता है तो यह अभियोजन कथन को समर्थन देगा। [पैरा 14] [338-सी]

1.3. मौजूदा मामले में, मकसद के सवाल पर अ. सा. 16, अ. सा.15 और अ. सा. 19 के अभिसाक्ष्यप्रासंगिक हैं।यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि एक पेट्रोलपंपअ. सा. 15 के नाम पर था जिसे अनुसूचित जनजाति के कोटे में उनके नाम पर आवंटित किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि उक्त पेट्रोलपंप को स्थापित करने और चलाने के लिए, अ. सा.15 ने अपीलकर्ता एस और उसके पिता से मदद ली थी। यद्दपि, मूल आवंटी और अपीलकर्ता-एस और उसके पिता के बीच विवाद उत्पन्न हो गए थे और उनके बीच नागरिक और आपराधिक मामलों के रूप में प्रकट हुए थे। अ. सा. 15 ने उस संबंध में मृतक की मदद ली थी, जिसने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से

अ. सा. 15 को पेट्रोलपंप की बहाली सुनिश्चित की थी, जिससे अपीलकर्ता-एस और उसके पिता नाराज थे। इस बात के भी सबूत हैं कि मृतक ने इसके विपरीत काम किया था क्षेत्र में कोयला चोरी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद से धनबाद के 'कोयला माफिया' के रूप में वर्णित किया गया था और मृतक द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता एस के पिता और एक सह-अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। उक्त मामले. ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों परिस्थितियों ने उस घटना में योगदान दिया जिसके कारण मृतक की हत्या हुई, जिसे अपीलकर्ताओं ने अपनी गतिविधियों में बाधा के रूप में माना था। [पैरा 15,20] [338-डी; 340-एफ-एम; 341-ए-बी]

शिवजी जेनुमोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 3एससीसी 219, हरि शंकर बनाम यूपी राज्य। (1996) 9एससीसी 40 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल और अन्य। (2008) 16एससीसी73-पर भरोसा किया गया।

2.1. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में निम्नलिखित सुस्पष्ट विशेषताएं शामिल हैं:

(i) साक्ष्य बताते हैं कि घटना की तारीख और निकटतम समय पर अपीलकर्ताओं को बिना पंजीकरण संख्या के एक काले रंग की मोटर साइकिल की सवारी करते हुए देखा गया था।

(ii) घटना स्थल से उस मोटर साइकिल के उदग्रहण को स्थापित करने वाले साक्ष्य जिस पर मृतक सवार था और जिसे अपीलकर्ता-एस अपने कारखाने से चला रहा था।

(iii)घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का विवरण जैसा कि अ. सा. 16 और अ. सा. 6 द्वारा दिया गया है।

(iv) चिकित्सा साक्ष्य, अ. सा.16 के कथन का समर्थन करते हुए, कि वह तब घायल हुआ जब वह अपने द्वारा चलाई जा रही मोटर साइकिल से गिर गया और मृतक पिछली सीट पर बैठा था, अपीलकर्ता 'यू' ने गोली मार दी।(पैरा 21] [341-सी-एच]

2.2 सभी गवाहों के बयान संतोषजनक ढंग से साबित करते हैं कि अपीलकर्ताओं को घटना की तारीख पर घटनास्थल के आसपास घूमते देखा गया था और लगभग 1:30 बजे अपराह्न जो निकटतम समय है बिना पंजीयन संख्या के मोटरसाइकिल पर गोविंदपुर की ओर जाते देखा गया था। जब मृतक को गोली मार दी गई थी। अ. सा.1 के बयान से यह साबित होता है कि साक्षी ने अपीलकर्ता-यू की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जो न केवल न्यायालय में अपीलकर्ता-एस के पीछे बैठा था। लेकिन जांच के दौरान आयोजित पहचान परीक्षण परेड में भी। [पैरा 27) [344-डी-ई]

2.3 यह स्पष्ट है कि जिस मोटरसाइकिल पर मृतक अ. सा. 16 के साथ यात्रा कर रहा था, उसे जब्ती ज्ञापन के संदर्भ में घटना स्थल से जब्त कर लिया गया था, अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल को अपीलकर्ता-एस के स्वामित्व वाले परिसर से जब्त कर लिया गया था। जब्ती

ज्ञापन को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल काले रंग की, कैलिबरबजाज निर्मित थी, जिसकी प्लेट पर कोई पंजीकरण संख्या नहीं थी। मोटरसाइकिल से पंजीकरण और उपयुक्तता का एक प्रमाण पत्र बरामद किया गया, जिसमें अपीलकर्ता के भाई का नाम उसके मालिक के रूप में दर्शाया गया था। [पैरा 28] [345-एफ-एच; 346-ए]

2.4. अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए सबूत पेश किए कि 9 एम.एम. के खाली कारतूस घटनास्थल से गोलियां जब्त की गईं. एक खाली कारतूस शव के पास से बरामद किया गया, जबकि दूसरा सड़क के दक्षिणी किनारे पर कीचड़ भरे फुटपाथ से बरामद किया गया. यह जब्ती ज्ञापन से स्पष्ट है। इसके अलावा और अधिक महत्वपूर्ण बात शिकायतकर्ता की हल्के हरे रंग की टी-शर्ट की जब्ती है- (अ. सा. -16) जिसकी बांह और पीठ पर खून के धब्बे थे। टी-शर्ट बाएं कंधे के पास फटी हुई है। साक्षी द्वारा पहनी गई नीले रंग की जींस भी जब्त कर ली गई और उसके बाएं घुटने पर चोट लग गई। अ. सा. 1 और पीडब्लू2 के बयान इन बरामदगी का समर्थन करते हैं जो अभियोजन पक्ष के कथन की पुष्टि करता है कि घटना उसी स्थान पर हुई थी जहां से शव, मोटरसाइकिल, खाली कारतूस और खून से सनी मिट्टी जब्त की गई थी।अ.सा.16 द्वारा पहनी गई टी-शर्ट और जींस की जब्ती, टी-शर्ट पर खून के धब्बे, बाएं कंधे के पास टी-शर्ट को नुकसान पहुंचाने वाली खरोंचें और बाएं घुटने पर जींस भी अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि करती है कि जब मारा गया था।अपीलकर्ता-एस द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई, जिस मोटरसाइकिल पर मृतक यात्रा कर रहा था, उसने अपना संतुलन खो दिया, जिससे दोनों जमीन पर गिर गए और अ.सा. 16 द्वारा पहने गए कपड़ों को नुकसान पहुंचा और उनके व्यक्ति को चोटें आईं। नीचे दी गई न्यायालयों ने इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सही सराहना की और सही निष्कर्ष निकाला कि ऊपर उल्लिखित वस्तुओं की जब्ती स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के कथन और आरोप के अंतर्निहित साक्ष्य के अनुक्रम का समर्थन करती है। [पैरा 29] [345-बी-जी]

2.5. तीसरा पहलू चिकित्सीय साक्ष्य है, जो अ.सा.16के कथन का समर्थन करता है कि अपीलकर्ता-यू द्वारा मृतक को गोली मारने के बाद मोटर साइकिल से गिरने पर उसे चोटें लगी थीं। चिकित्सा प्रमाण पत्र में कहा गया है कि चोटें कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हुई थीं। चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांग करना (जिसके द्वारा अ.सा.16को आघात प्रतिवेदन जारी करने के अनुरोध के साथ चिकित्सा के लिए भेजा गया था), अ.सा.16 की चिकित्सा जांच और उसके शरीर पर चोटों की उपस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से साबित हुई और बहुत आगे तक चली गई अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करने के लिए कि अ.सा. 16 घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था और पिछली सीट पर बैठे मृतक को अपीलकर्ता-यू द्वारा गोली मारने के बाद अपना संतुलन खो देने से वह घायल हो गया था। [पैरा 30,31] [345-एच; 346-बी-सी; एफ-एच]

2.6. अ.सा.16 की बड़े पैमाने पर प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उसके बयान को निचली न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया कथन को, सुसंगत और विश्वसनीय दोनों बताया। अ.सा.16 ने जिस तरह से घटना या मौके पर उसकी उपस्थिति के बारे में बताया, उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंभव नहीं है। अपीलकर्ताओं और साक्षी के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी का कोई सुझाव नहीं है और न ही उसके कथन को संदिग्ध बनाने के लिए अभियोजन पक्ष के पक्ष में कोई पूर्वाग्रह है।साक्षी द्वारा दिया गया विवरण स्वाभाविक है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भौतिक असंगति या असम्भावतानहीं है। मौके पर साक्षी की उपस्थिति अ. सा.1 और 2 द्वारा साबित होती है, दोनों मृतक की हत्या के बारे में सुनने के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे और मौके पर अ. सा.16 से मिले।इन दोनों साक्षी ने गवाही दी है कि साक्षी द्वारा पहनी गई टी-शर्ट खून से सनी हुई थी और वह जिस मोटरसाइकिल को चला रहा था वह कुछ दूरी पर मृतक के शव के साथ घटनास्थल पर पड़ी थी। दोनों ने पुलिस के समक्ष अ.सा.16 द्वारा दिए गए बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जो घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट का गठन करता है जिसमें दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने अपीलकर्ता-एस को एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा है जिसे वे पहचान सकते हैं। मौके पर अ.सा.16 की मौजूदगी की गवाही अ. सा.6 ने भी दी है, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शीसाक्षी भी है। इसके अलावा संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणितअ.सा.16 के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति, और यह तथ्य कि उसके द्वारा पहनी गई टी-शर्ट उसके द्वारा लगी चोटों के अनुरूप दो अलग-अलग स्थानों पर फटी हुई थी, भी दिए गए कथन की पुष्टि करती है। जब मृतक को गोली मारी गई तो वह साक्षीमोटरसाइकिल चला रहा था जैसा कि उसने दावा किया था। [पैरा 34] [348-एफ-एच; 349-ए-ई]

2.7. प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी देरी के दर्ज की गई और घटना के दिनांक को ही, देर शाम को ही अ.सा.16की चिकित्सीय जांच की गई। ये सभी परिस्थितियाँ साक्षी के रोपित साक्षी होने की संभावना को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। यह साक्षी और अ. सा.1 और 2 के बयान से साबित होता है कि वह घटना से पहले मृतक के साथ था और घटना के तुरंत बाद मौके पर था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसके द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पास में पड़ी थी। इसलिए, नीचे की दो अदालतों द्वारा दर्ज निष्कर्ष यह है कि घटना के समय मृतक अ. सा.16 के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर धनबाद से निरसा तक यात्रा कर रहा था और इसलिए, वह एक सक्षम साक्षी था जो इस घटना की गवाही दे सकता था और दे भी चुका है, जैसा कि ऐसा ही हुआ, इसकी पुष्टि की गई है। [पैरा 35] [349-एफ-एच; 350-ए-बी]

3.1. किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में किसी अभियुक्त की पहचान करना किसी मामले में ठोस सबूत होता है, यद्दपिमामले में पहली बार की गई ऐसी कोई भी पहचान अक्सर कमजोर चरित्र का सबूत प्रतीत हो सकती है। ऐसा होने पर, साक्ष्य की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दृष्टि से एक पहचान परीक्षण परेड (टी.आई.पी) आयोजित की जाती है। इस तरह की टी.आई.पीन्यायालय में उस साक्षी को पुष्टि प्रदान करती है जो अन्यथा उसके लिए अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है। इसलिए, पहचान परीक्षण परेड जांच के दायरे में बनी हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता जांच एजेंसी को आवश्यक रूप से पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं करती है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत अभियुक्त पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने के अधिकार का दावा कर सके। उस दृष्टि से, पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने में जांच एजेंसी की विफलता का न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को कमजोर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी पहचान से जुड़ा महत्व क्या होना चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित करेगा। उपयुक्त मामलों में न्यायालय पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। [पैरा 37] (350-एफ-एच; 351-ए-सी)

3.2. अ. सा. 16 को उस पहचान परीक्षण परेड के साथ जोड़ने में जांच एजेंसी की चूक, जिसमें अ. सा.1 ने अपीलकर्ता-यू की पहचान की थी, कानूनी तौर पर अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित नहीं होगी, हालांकि जांच अभिकरण को वास्तव में उक्त साक्षी को भी शामिल करना चाहिए था। परीक्षण पहचान परेड, विशेषकर तब, जब साक्षी ने घटना से पहले अपीलकर्ता-यू के साथ परिचित होने का दावा नहीं किया था। फिर भी, ऐसा करने में उसकी चूक से न्यायालयमें अ. सा.16 द्वारा उक्त अपीलकर्ता की पहचान की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है और अपीलकर्ता-यू के कार्यों को देखने और निरीक्षण करने के लिए अ. सा.16 के पास जो अवसर था, वह साक्षी के लिए न्यायालय में उसे पहचानने के लिए पर्याप्त था। यह अवसर हमलावरों की क्षणिक झलक से कहीं अधिक था। अपीलकर्ता-यू को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे साक्षी ने देखा, जो उसकी मोटरसाइकिल के करीब आ रहा था, मृतक को करीब से गोली मार रहा था, कुछ दूरी पर रुका और मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था जहां मृतक और साक्षी गिरे थे, गाली दे रहे थे और धमकी दे रहे थे साक्षी और उसे मौके से भागने के लिए कहा। यह सब एक ऐसी छाप बनाने के लिए पर्याप्त था जो ऐसे दर्दनाक अनुभव से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति की स्मृति में अंकित रहेगी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां किसी अन्य मोटरसाइकिल चालक पर एक मौका और आकस्मिक दृष्टि संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई प्रभाव छोड़े बिना गुजर सकती है। यह एक ऐसा मामला है जहां घटना का दुःस्वप्न उस व्यक्ति की स्मृति में बना रहेगा और वास्तव में उस व्यक्ति को परेशान करेगा जो लंबे समय तक अनुभव से गुजर चुका है। इसलिए, पहचान परीक्षण परेड की अनुपस्थिति और साक्षी को उसके साथ जोड़ने में

जांच अधिकारी की विफलता से तत्काल मामले में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है। [पैरा 40] [353-डी-एच; 354-ए-सी]

मलखानसिंह एवं अन्य। वि. म.प्र. राज्य (2003) 5 एस.सी.सी 746; प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एस.सी.सी 150; एकीलअहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (16) एस.सी.सी 372 -पर भरोसा किया गया।

कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 (1) एस.सी.आर 678 - संदर्भित।

4.1. यह सच है कि न केवल अ. सा.16 के अनुसार, बल्कि अ. सा. 1, अ. सा. 2 और जांच अधिकारी के अनुसार, अ. सा. 16 द्वारा पहनी गई टी- शर्ट खून से सना हुआ था, जिसे पहले संदर्भित जब्ती ज्ञापन के संदर्भ में जब्त कर लिया गया था।यह भी सच है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के संदर्भ ने निश्चित रूप से इन गवाहों द्वारा टी-शर्ट पर खून के धब्बे होने और रक्त समूह मृतक के समान होने के बारे में दिए गए बयान की पुष्टि की होगी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का संदर्भ देने में अभियोजन पक्ष की विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जो अ. सा. 16 द्वारा दिए गए कथन को भी मजबूत कर सकता था, इस पर कोई विवाद नहीं है। यद्दपि, संदर्भ देने में जांच एजेंसी की विफलता मामले की परिस्थितियों में या तो गवाहों के कथन को बदनाम नहीं करेगी कि जब टी-शर्ट को जब्त किया गया था तो उस पर खून का दाग था या यह उस तरह की कमी होगी जो अभियोजन को प्रभावित करेगी। कथन मामले की परिस्थितियों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का संदर्भ देने में विफलता मामले की जांच में कमी से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी किसी भी कमी से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अभियोजन का मामला पूरी तरह से श्रेय के योग्य नहीं है। जांच एजेंसी की ओर से चूक और चूक के माध्यम से जांच में कमियां अपने आप में अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज करने को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। (पैरा 42] [354-एफ-एच; 355-ए-]

4.2. खून से सने कपड़ों को एफ.एस.एल और खाली कारतूसों को प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के पास भेजने में जांच अधिकारी की विफलता प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिया गया प्रकथनको अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के संदर्भ की अधिक प्रासंगिकता नहीं होती क्योंकि जिस हथियार से गोलियां चलाई गई थीं वह अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था और इसलिए, विशेषज्ञ द्वारा तुलना के लिए उपलब्ध नहीं था। [पैरा 44] [356-ई] राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य। (1998) 4 एस.सी.सी 517; सुरेंद्र पासवान बनाम झारखंड राज्य (2003) 12 एस.सी.सी 360; अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य। (2003) 2एस.सी.सी 518- पर भरोसा किया गया।

5. तथ्य यह है कि जिस मोटरसाइकिल पर मृतक अ. सा.16 के साथ यात्रा कर रहा था वह घटना स्थल पर पाया गया था, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से काफी हद तक साबित

होता है। यह भी स्पष्ट है कि विचाराधीन मोटरसाइकिल न तो मृतक की थी और न ही अ. सा. 16 की। इन परिस्थितियों में अ. सा. 16 के साक्ष्य में कोई असंभवता नहीं है कि उक्त मोटरसाइकिल उसने अपने दोस्त से उधार ली थी।केवल यह तथ्य कि मोटरसाइकिल के मालिक या अ. सा.16 ने अपने पक्ष में मोटरसाइकिल की रिहाई के लिए आवेदन नहीं किया था, अभियोजन ले को कम से कम प्रभावित नहीं करता है, भले ही यह इसे पूरी तरह से संदिग्ध बना दे। (पैरा 45] [356-जी-एच; 357-ए-बी]

6. प्रश्नगत घटना 2.45 बजे अपराहन के आसपास हुई थी। अ. सा. 16 का बयान जांच अधिकारी द्वारा उसी दिन शाम लगभग 4.15 बजे दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई थी। थाने में दर्ज प्रथम सूचना की प्रति क्षेत्राधिकारी को अगले दिन प्राप्त हुई।बयान पर अ. सा. 16 के अलावा अ. सा.1 और अ. सा. 2 ने भी हस्ताक्षर किए थे। तीनों साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए थे, उस पर कायम हैं। इसके अलावा, मामले के पंजीकरण और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में किसी भी अस्पष्ट या असामान्य देरी का अभाव था। [पैरा 46] (356-जी-एच; 357-सी-जी]

7.1. इसमें कोई संदेह नहीं कि अ. सा. 6 का बयान दर्ज करने में डेढ़ महीने की देरी हुई, यद्दपि, यह अपने आप में उसकी गवाही को अस्वीकार करने को उचित नहीं ठहराता है। कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय है कि किसी विशेष साक्षी की परीक्षण में देरी, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में, अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनाती है। यह मामले की परिस्थितियों और जांच किए जा रहे अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह उस जानकारी की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा जिसके द्वारा जांच अधिकारी साक्षी तक पहुंच सके और उससे पूछताछ कर सके। यह उस स्पष्टीकरण पर भी निर्भर करेगा, यदि कोई हो, जो जांच अधिकारी देरी के लिए पेश कर सकता है। ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि एक विशेष साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन वह ऐसी किसी चूक के लिए संभावित स्पष्टीकरण के बिना उससे पूछताछ नहीं करता है, देरी महत्वपूर्ण हो सकती है और न्यायालय को बारीकी से जांच करने और साक्षी के प्रकथन के मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।लेकिन ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास किसी विशेष व्यक्ति के घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे साक्षी की जांच करने में देरी से साक्षी की साक्ष्य यथातथ्यत: संदेहात्मक नहीं बनाती या अभियोजन कथन को प्रभावित नहीं करती है (पैरा 49] (359-डी-एच; 360-ए]

7.2 मौजूदा मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि अ. सा. 6 उनसे पहली बार 2 जून 2000 को मिला था और उन्होंने उसी दिन अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने आगे कहा कि 2 जून, 2000

से पहले उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अ. सा. 6 इस घटना का साक्षी था।यहां तक कि अ. सा. 6 ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि जांच अधिकारी उन तक कैसे पहुंचे. उनके बयान के अनुसार इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया था कि वह उस व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद अपना यान दर्ज करने आए थे जो घटना की तारीख पर उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। पीछे बैठने वाले ने उन्हें यह भी बताया था कि पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर लिया है। विचारण न्यायालय और उच्चन्यायालय ने देरी के लिए जांच अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है। अलग दृष्टिकोण अपनाने या इस साक्षी की बयान को केवल इसलिए खारिज करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसका बयान घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था।[पैरा 51] [360-एफ-एच; 361-ए-बी]

रणबीर और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1973) 2 एस.सी.सी 444;

सतबीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 13 एससीसी 790 - पर निर्भर।

8. अ. सा. 6 ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने घटना की तारीख पर मृतक को मोटरसाइकिल पर जाते देखा था और अपीलकर्ता-एस ने अपनी मोटरसाइकिल मृतक की मोटरसाइकिल के बाईं ओर ला दी थी, जिसके बाद अपीलकर्ता-यू ने पीछे बैठे व्यक्ति को गोली मार दी थी। प्रधान साक्षी द्वारा दिए गए कथन से यह समझ में नहीं आता कि घटना घटित होने के बाद साक्षी घटना स्थल पर पहुंचा था। साक्षी ने जो कहा है वह यह है कि वह घटना समाप्त होने के 5-7 मिनट बाद उस स्थान पर गया जहां मृतक गिरा था। घटना को देखने को उस स्थान पर जाने से भ्रमित नहीं किया जा सकता जहां मृतक गिरा था। साक्षी के बयान को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि इसमें ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जो अ. सा.6 के कथन की अस्वीकृति को उचित ठहरा सके। निचली दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाते हुए अ. सा. 6 की बयान को सही माना। [पैरा 52] [361-बी-ई]

9. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को एक से अधिक कारणों से अपीलकर्ताओं पर मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देना उचित नहीं था। सबसे पहले, क्योंकि अपीलकर्ता पेशेवर हत्यारे नहीं हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार भी वे क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफिया का एक हिस्सा थे जो कोलियरियों से कोयले की चोरी में लिप्त थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ऐसी गतिविधियों का विरोध कर रहा था, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उसकी हत्या कर दी गई। दूसरे, क्योंकि जब मृतक एक राजनेता था तो हत्या का कोई राजनीतिक पहलू नहीं था।तीसरा, क्योंकि हत्या के दायरे में आने वाली सभी गैर इरादतन हत्याएं अमानवीय हैं, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हैं, फिर भी इसके निष्पादन के तरीके में ऐसा कुछ भी विशेष रूप से क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण नहीं था जिससे समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो या

हमलावरों की ओर से दुष्टता और नीचता को दर्शाते हुए अत्यधिक दंड की मांग की गई। चौथा, क्योंकि दोषियों को दी जाने वाली सज़ा के सवाल पर मतभेद था. विचारण न्यायालय ने इसे दुर्लभतम मामला नहीं पाया और फैसले से संतुष्ट रहा। केवल आजीवन कारावास की सज़ा, जिसकी सज़ा को उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्युदंड को आजीवन कारावास में उपांतरित किया जाना चाहिए। [पैरा 60] [365-ई-एच; 366-ए-बी] जगमोहन सिंह बनाम यू.पी राज्य (1973) 1 एस.सी.सी 20; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684; मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3एस.सी.सी 470; फ़ारूग उर्फ करट्टाफ़ारूग और अन्य। बनाम केरल राज्य (2002) 4एस.सी.सी697; संतोष कुमार सतीशभूषणबरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6एससीसी498; महाराष्ट्र राज्य बनामप्रकाश सखा वसावे और अन्य, (2009) 11एस.सी.सी193-पर निर्भर।

10. परिणामस्वरूप, अपील के तहत निर्णयों और आदेशों की इस उपांतरण के साथ पुष्टि की जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड के बजाय, अपीलकर्ताओं को आजीवन कठोर कारावास भुगतना होगा।[पैरा 61] [366-बी-सी]

केस कानून संदर्भ:

(1973) 3 एस. सी. सी 219 भरोसा किया गया पैरा 13 पर

(1996) 9 एससीसी 40 निर्भर पैरा 13 पर

(2008) 16एससीसी73निर्भर पैरा 13 पर

(1964) 1 एससीआर 678 निर्भर पैरा 36 पर (2003) 5 एससीसी 746 निर्भर पैरा 37 पर (2004) 13 एससीसी 150 निर्भर पैरा 38 पर (2008) 16 एससीसी 372 निर्भर पैरा 39 पर (1998) 4 एससीसी 517 निर्भर पैरा 42 पर (2003) 12 एससीसी 360 निर्भर पैरा 42 पर (2003) 2 एससीसी 518 निर्भर पैरा 43 पर (1943) 2 एससीसी 444 निर्भर पैरा 49 पर (2009) 13 एससीसी 790 निर्भर पैरा 50 पर (1973) 1 एससीसी 20 निर्भर पैरा 54 पर (1980) 2 एससीसी 684 निर्भर पैरा 55 पर (1983) 3 एससीसी 470 निर्भर पैरा 56 पर (2002) 4 एससीसी 697 निर्भर पैरा 57 पर (2009) 6 एससीसी 498 निर्भर पैरा 58 पर (2009) 11 एससीसी 193 निर्भर पैरा 59 पर आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार पर निर्भर किया गया: वर्ष 2005 की आपराधिक अपील संख्या 791-792

शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 328

आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या, 2004 की 43 और 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 136 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2005 से। साथ ही वर्ष 2005 की आपराधिक अपील संख्या 793-794 यू.आर. ललित, ए.टी.एम. रंगरामानुजम, सुनील कुमार, अशोक कुमार सिंह, प्रखर शर्मा, अनु गुप्ता, एस विश्वजीतमैतेई, एस. चंद्र शेखर, पी. शर्मा,

शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य

एम.के. झा, अनिल के. झा, ललिता कौशिक,बनाम एन. उपस्थित पक्षों के लिए रघुपति।

न्यायालय का निर्णय

टी.एस.ठाकुरजे. द्वारा सुनाया गया। 1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें 6 मई, 2005 को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.वि. के तहत दोषी ठहराया गया था। और अपीलकर्ता- उमेश सिंह की धारा 302 के साथ पठित धारा 34भा.द.वि.और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पुष्टि की गई है और विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आजीवन कठोर कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड में परिवर्तित कर दिया गया है। 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 136 जिसमें उमेश सिंह और शिव शंकर सिंह पर लगाई गई सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी, को उच्च न्यायालय ने परिणामत: अनुमति दे दी है, जबकि 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 135 ने तीन अन्य अभियुक्तों मोहम्मद जाहिद,उमा शंकर सिंह, और प्रेमजीत सिंहको ख़ारिज कर दिया औरदोषमुक्त करने के विरुद्ध दायर किया था।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष ने कहा कि 14 अप्रैल, 2000 को, मृतक-श्री गुरुदासचटर्जी, झारखंड राज्य विधान सभा के मौजूदा सदस्य, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार होकर धनबाद से निरसा लौट रहे थे, जिसे प्रथमसूचक अपूर्वाघोष चला रहा था। अपूर्वाघोष से अ. सा.16 के रूप में परीक्षण में पूछताछ की गई। लगभग 2.45 बजे अपराह्न। जब दोनों प्रीमियरहार्ड कोक, अपूर्वा घोष के पास पहुंचे, तो सूचक ने पीछे से गोली चलने की आवाज सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि अपीलकर्ता- शिव शंकर सिंह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ सूचक के बाईं ओर एक काली मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसकी पहचान बाद में उमेश सिंह के रूप में हुई, जो हाथ में पिस्तौल लेकर पिछली सीट पर बैठा था। आरोप है कि पीछे बैठे उमेश सिंह ने नजदीक से दूसरी बार गोली चलाई जो मृतक गुरुदासचटर्जी के सिर में लगी और वह सूचक के पीछे गिर पड़े। सूचक के पीछे, जिससे मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। शिव शंकर सिंह द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल को उन्होंने थोड़ा आगे रोक दिया, जिसके बाद पीछे बैठा उमेश सिंह उतर गया; उस स्थान पर वापस चला गया जहां मृतक गिरा था, सूचना देने वाले को मौखिक रूप से गाली दी और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा, अन्यथा उसे भी मार दिया जाएगा। इसलिए धमकाकर सूचना देने वाला घटनास्थल से भाग गया, जिसके बाद अपीलकर्ता उमेश सिंह ने मृतक पर तीसरी गोली चलाई, उसके शव को सड़क के किनारे ढलान पर धकेल दिया, मोटरसाइकिल पर वापस चला गया, जिसका इंजन शिव शंकर सिंह ने चालू रखा था और निरसा की ओर भाग गया। बताया जाता है कि कुछ लोग उनकी ओर दौड़े लेकिन उमेश सिंह ने बंदूक से उन्हें डरा दिया। मोटरसाइकिल पर पंजीयन संख्या नहीं थी. कहा जाता है कि मौके पर भीड़ जमा हो गई थी,

जिसमें अब्कुज कुदुस अंसारी (अ. सा.1) और लाल मोहन महतो (अ. सा.2) शामिल थे, जिन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शिव शंकर सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति को बिना पंजीयन संख्या के मोटरसाइकिल पर घटना के कुछ समय पहले घूमते देखा था।

3. मृतक विधायक की हत्या की अफवाह सुनकर, पुलिस उपनिरीक्षक रामजी प्रसाद (अ.सा.17) मौके पर पहुंचे और अपूर्वा घोष (अ.सा. 16) का बयान दर्ज किया, जिसमें सूचक ने घटना के ऊपर निर्धारित विवरण इस प्रकार बताया। अपूर्वा घोष का बयान इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का गठन किया गया, जिस पर न केवल अपूर्वा घोष ने बल्कि अब्दुलकुदुस अंसारी (अ.सा.1) और लाल मोहन महतो (अ.सा.2) ने भी हस्ताक्षर किए थे। उक्त फर्दबयान/प्रथम सुचना रिपोर्ट के आधार पर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में भा.द.वि. की धारा 302/34 और 120बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई।

4. जांच के क्रम में बीडीओ शिशिर कुमार सिन्हा द्वारा एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि जांच अधिकारी ने 9 एमएम की दो खाली गोलियां जब्त कीं। घटनास्थल के नीचे बुलेट पर "एच.पी 59/2" खुदा हुआ है, इसके अलावा लाल रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका पंजीयन नंबर डब्ल्यू.बी38ई 7053 जिस पर घटना के समय मृतक यात्रा कर रहा था। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी के अलावा खून से सनी टी-शर्ट और अपूर्वा घोष द्वारा पहनी गई हल्के नीले रंग की जींस भी जब्त की गई।

5. 15 अप्रैल, 2000 को जांच श्री राजा राम प्रसाद (अ.सा. 18) ने संभाली, जिन्होंने 16 अप्रैल, 2000 को काले रंग की बजाजकैलिबर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया, जिसे कथित तौर पर अपराध के समय अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह चला रहे थे। इसके अलावा, एक पहचान परीक्षण परेड आयोजित की गई जिसमें अब्दुलकुदुस अंसारी (अ. सा.1) ने अभियुक्त अपीलकर्ता-उमेश सिंह की पहचान की। जांच पूरी होने के बाद अंततः अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34/120बी और 102 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ता-उमेश सिंह पर शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। आरोपियों को धनबाद के सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने मामले को सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XIII, धनबाद की न्यायालय में अंतरण कर दिया, जिसके समक्ष अभियुक्तों ने खुद को दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण का दावा किया।

6. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की जांच की, जबकि अभियुक्त बचाव में दो गवाहों से संतुष्ट रहा। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 18 नवंबर, 2003 द्वारा अपीलकर्ताओं शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह को धारा 302/34 भा.द.वि. के तहत आरोपों का दोषी पाया। अपीलकर्ता -उमेश सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप में दोषी ठहराया गया। शेष छह

अभियुक्तों में से विचारण न्यायालय ने नर्मदेश्वर प्रसाद उर्फ़ चारो मास्टर विजय सिंह को और मोहम्मद नूरेन मास्टर दोषी पाया भा.द.वि. की धारा 120बी सपठित धारा 302 के तहत दोषी पाया। यद्यपि, अभियुक्त उमा शंकर सिंह, प्रेमजी सिंह और मोहम्मद जाहिद को उनके खिलाफ साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

7. 20 नवंबर 2003 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक अलग आदेश द्वारा न्यायालय ने अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। अपीलकर्ता-उमेश सिंह को साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के कठोर कारावास के दंड से दंदादिष्ट किया गया। इसी प्रकार अभियुक्त नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ चोरा मास्टर, विजय सिंह और मोहम्मद नूरेन मास्टर को भा.द.वि. की धारा 302/120बी के तहत आजीवन कारावास की कठोर दंड से डंडादिष्ट किया गया ।

8. अपनी दोषसिद्धि और दंड से व्यथित होकर, यहां के अपीलकर्ताओं और अन्य तीन दोषियों ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 43 और 78 वर्ष 2000 में दाखिल की, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 135 अपूर्वा घोष द्वारा अभियुक्त उमा शंकर सिंह, प्रेमजीत सिंह और मोहम्मद जाहिद को दोषमुक्त करने के खिलाफ दाखिल की गई थी, जबकि 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 136 में अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास के दंड को मृत्युदंड तक बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी।

9. इन अपीलों में दिए गए निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय ने नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह को दोषमुक्त कर दिया। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह @ चोरा मास्टर, विजय सिंह और मोहम्मदनूरेन मास्टर और उस सीमा तक आपराधिक अपील संख्या 43 और 78 की अनुमति दी। अपीलकर्ताओं शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और उन्हें दी गई सजा को बढ़ाकर फांसी की सजा में बदल दिया गया। यद्दपि, उमा शंकर सिंह, प्रेमजीत सिंह और मोहम्मद जाहिद को दोषमुक्त करने के खिलाफ 2004 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 135 को खारिज कर दिया गया और उनके दोषमुक्त होने की पुष्टि की गई। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान अपीलें उक्त निर्णय और आदेश की सत्यता पर सवाल उठाती हैं।

10. हमने अपीलकर्ता के वरिष्ठ विदयु. आर. ललित उत्तरदाताओं कि ओर से उपस्थित विद वरिष्ठ विधिज्ञ श्री ए.टी.एम. रंगरामनुजम तथा श्री सुनील कुमार को प्रचुरता से सुना है । हमें अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों और निचली न्यायालयों के फैसलों से भी अवगत कराया गया है। हम वर्तमान में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम शुरुआत में यह बता सकते हैं कि स्वर्गीय श्री गुरुदासचटर्जी की मृत्यु का कारण मानव हत्या है, यह विवादित नहीं है और हमारे विचार से यह सही भी है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्धसाक्ष्य यह साबित करते हैं कि मृतक की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी।डॉ. शैलेन्द्र

कुमार (अ.सा.14) का बयान, जिन्होंने दो अन्य डॉक्टरों के साथ मृतक का अन्त्य परीक्षण किया था। प्रोफेसर डॉ. राय सुधीर प्रसाद, एवं डॉ. चंद्र शेखर प्रसाद इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि श्री गुरुदासचटर्जी की मृत्यु दो एंटी-मॉर्टम बंदूक की गोली के घावों का परिणाम थी, जिसे साक्षी ने न्यायालय में अपने बयान और अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श-5 में वर्णित किया है:

(i)प्रवेश द्वार का आग्नेयास्त्र घाव, उल्टे किनारों और घर्षण कॉलर के साथ एक ¾ सेमीx ½सेमी गहरी गुहा, चेहरे के बाईं ओर के ऊपरी भाग के सामने, बाएं कान के पिन्ना के सामने लगभग 1.5सेमी की दूरी पर स्थित है। कोई जलना, गाना या गोदना नहीं देखा गया।

(ii) आग्नेयास्त्र निकास घाव 1¼ सेमीx ¾ सेमी गहराई में उल्टे किनारों के साथ दाहिनी आंख की भौंह के मध्य क्षेत्र से 2.5सेमी ऊपर रखा गया है। गर्दन पर घर्षण का कोई सबूत नहीं देखा गया।

(iii) अग्नि प्रवेश द्वार पर एक ¾ से.मी. व्यास का घाव है, उलटे किनारों के साथ गहरी गुहा और बाएं कान के नीचे से 5 सेमी दूर प्राईटोओसिपिटल क्षेत्र में सिर के पीछे बाईं ओर गर्दन पर घर्षण कोई जलना, गाना या गोदना नहीं देखा गया।

(iv) आग्नेयास्त्र निकास घाव ¾ से.मी. व्यास की गुहा में उल्टेहाशिये के साथ गहरे और सिर के पीछे बाईं ओर प्राईटोओसिपिटल क्षेत्र में बाएं कान के नीचे से 2 से.मी. दूर उभरे हुए मस्तिष्क पदार्थ के साथ होता है। गर्दन पर कोई घर्षण नहीं देखा गया।

चोट संख्या – iV, चोट संख्या –i, का निकास घाव है और चोट संख्या –ii, चोट संख्या- iii, का निकास घाव है क्योंकि इसकी पुष्टि विच्छेदन में पाए गए रक्त के थक्के और घाव के निशान से हुई थी।

V. फटे हुए घाव:(ए) माथे के दाईं ओर 1 सेमीx ½ इंच से.मी.खोपड़ी की गहराई, दाहिनी आंख की भौंह के अंदरूनी सिरे से 6 से.मी. ऊपर।

(बी) ¾से.मी. x ½से.मी. x खोपड़ी की गहराई कब्जे में।

VI. चोट :

(ए) माथे के बाईं ओर के मध्य में 1 - ½ से.मी. x ¾ से.मी.

(बी) 2½ से.मी. x 1½ से.मी. 3 से.मी. x ½ से.मी. की पूंछ क्षैतिज रूप से दाहिने कंधे के पीछे रखी गई।

(सी) 9 से.मी. x 1/3 से.मी. का ½ से.मी रैखिक घर्षण क्षैतिज रूप से छाती के बाईं ओर के निचले हिस्से की पीठ पर रखा गया है।

(डी) पेट के बायीं ओर के पिछले हिस्से पर 2 ½ से.मी .x ¾ से.मी." विच्छेदन करने पर ललाट और दोनों पार्श्विका के कई हड्डियां टूटे पाए गए। पेट में लगभग 100 एम.एल. अर्ध-पचा हुआ

चावल और शिथिलता थी। सभी आंत हृदय, खालीऔर मूत्राशयपीले थे।राय हमारी राय में आग्नेयास्त्र से उत्पन्न उपरोक्त कपाल-मस्तिष्कीय चोटों के कारण मृत्यु तुरंत हो गई।
मृत्यु के बाद बीता हुआ समय -अन्त्य: परीक्षण के समय से पहले 18 से 24 घंटे के बीच"
11. उपरोक्त के सन्दर्भ में यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली से हुई थी। इस तथ्य के अलावा कि अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या यहां तक कि हमारे सामने कभी भी मानव वध की मृत्यु के कारण पर सवाल नहीं उठाया गया, अन्त्य: परीक्षण जांच करने वाले डॉक्टर की प्रतिपरीक्षणकी वाक्य भी सवाल नहीं उठाती है। चिकित्सा विशेषज्ञ की राय की सत्यता कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने से हुई थी। यह सच है कि डॉक्टर यह स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम नहीं हैं कि दोनों में से कौन सी गोली की चोट साबित हुई है घातक, लेकिनविचारण में जांचे गए साक्षियों के बयान से सामने आए घटनाओं के अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है।
12. अभियोजन के मामले के आधार पर आते हुए हमें यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यह पूरी तरह से अपूर्वा घोष (अ. सा.16) और प्रशांत बनर्जी (अ. सा.6) की प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर निर्भर करता है, इसके अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा मदद देने के लिए बुलाए गए आपत्तिजनक परिस्थितियों के अलावा उक्त दोनों प्रत्यक्षदर्शी की गवाही का समर्थन और पुष्टि, हम उक्त गवाहों के बयान पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम इस सवाल से निपट सकते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध के लिए कोई हेतु साबित किया है और यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा ?
13. अभियुक्त के अपराध को सामने लाने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में हेतु के प्रमाण के संबंध में कानूनी स्थिति इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय की गई है।इन निर्णयों ने उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर किया है जहां अभियोजन एक ओर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है और दूसरी ओर जहां यह प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही पर निर्भर करता है। मामलों की पहली श्रेणी में हेतु के साक्ष्य को वह महत्व दिया जाता है जिसका वह हकदार है, क्योंकि हेतु का साक्ष्य खुद परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी का गठन करता है जिस पर अभियोजन भरोसा कर सकता है। यद्दपि, उन मामलों हेतु साक्ष्य पृष्ठभूमि में चला जाता है जहाँ अभियोजन घटना के प्रत्यक्षदर्शी पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान का उचित मूल्यांकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उनके द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय है, तो हेतु को साबित करने के लिए साक्ष्यो के अभाव को महत्वहीन बना दिया जाता है। इसके विपरीत, भले ही अभियोजन अपराध करने के लिए एक मजबूत हेतु स्थापित करने में सफल हो, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य अविश्वसनीय या अयोग्य पाए जाते हैं, हेतु का अस्तित्व अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान नहीं करता है। यद्दपि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे

मामले में भी, जो प्रत्यक्षदर्शी पर आधारित है, हेतु का सबूत अभियोजन मामले को मजबूती नहीं देता है या न्यायालय को मजबूत नहीं करता है। अपने अंतिम निष्कर्ष पर. ऐसी स्थिति में हेतु का साक्ष्य निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष की मदद करता है और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का समर्थन करता है। देखें शिवाजी गेनुमोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 3 एस.सी.सी 219, हरि शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (1996) 9एस.सी.सी 40 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल और अन्य (2008) 16 एस.सी.सी 73

14. मौजूदा मामला घटना के प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है। इसलिए, हेतु किअनुपस्थिति से अपने आप में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई हेतु वास्तव में साबित हो जाता है तो यह अभियोजन के कथन को समर्थन देगा। सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने आरोप को मजबूत करने के लिए ऐसा कोई हेतु स्थापित किया है।

15. अपूर्वाघोष (अ.सा.16), आमलालकिस्कू (अ.सा.15) और अरूपचटर्जी (अ.सा.19) के बयान हेतु के सवाल पर प्रासंगिक हैं और इस स्तर पर संक्षेप में चर्चा की जा सकती है।अरूपचटर्जी (अ. सा.19) मृतक जी. उदास चटर्जी का पुत्र है। इस साक्षी के अनुसार अपीलकर्ता और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य धनबाद के "कोयला माफिया" के रूप में वर्णित हैं, जिनसे मृतक क्षेत्र में कोयले की चोरी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद से लड़ते थे। साक्षी ने आगे कहा कि आमलालकिस्कू का बेलचाड़ी में एक पेट्रोलपंप था, जिसे चलाने के लिए श्री किस्कू ने अभियुक्त शिव शंकर सिंह को पेट्रोलपंप दिया था। साक्षी के अनुसार, आमलालकिस्कू को एक अनपढ़ आदिवासी होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा 30 रुपये प्रति दिन के भुगतान पर बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था। साक्षी ने आगे कहा कि आमलालकिस्कू ने मदद के लिए मृतक से संपर्क किया और बाद में पुलिस और प्रशासन की मदद से पेट्रोलपंप का स्वामित्व श्री किस्कू को वापस दिला दिया। इन दोनों कदमों अर्थात् क्षेत्र में कोयले की चोरी को रोकना और आमलालकिस्कू को पेट्रोलपंप की बहाली ने अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह को नाराज कर दिया, जिसके कारण मृतक के साथ ऐसा किया गया। राज्य विधानसभा के लिए लगातार तीसरा चुनाव जीतने के बाद मृत्यु हो गई।

16. प्रतिपरिक्षण में साक्षी ने उस जमीन के बारे में जहां पेट्रोलपंप स्थापित किया गया था और आमलालकिस्कू की आय के स्रोत के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है। साक्षी ने पंप की स्थापना में शामिल व्यय या उस स्रोत के बारे में भी अनभिज्ञता व्यक्त की जहां से श्री किस्कू ने वित्त की व्यवस्था की थी। साक्षी ने कहा कि शिव शंकर सिंह और नर्मदेश्वरप्रसाद के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित थे। सिंह और उनके बेटों ने विवाद में पेट्रोलपंप को लेकर नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सिविल मुकदमा दायर करने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की. प्रत्यक्षदर्शियों ने पेट्रोलपंप के विवाद को लेकर अमियालकिस्कू और मृतक के बीच बातचीत सुनने

का दावा किया है.

17. आम लाल किस्कू (अ. सा. 15) ने अपने बयान में कहा है कि बेलचडी में उसका एक पेट्रोलपंप है, जो उसे आदिवासी कोटे से आवंटित किया गया था। चूंकि वह तेल और स्नेहक की बिक्री से परिचित नहीं था। उन्होंने नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह से मदद ली थी और शिव शंकर सिंहइसके बाद शिव शंकर सिंह-अपीलकर्ता ने उनके साथ एक मजदूर की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और पेट्रोलपंप के संबंध में कोई हिसाब-किताब नहीं दिया। इसलिए, उन्होंने कंपनी से शिकायत की और दिवंगत विधायक गुरुदासचटर्जी से संपर्क किया, और लंबे प्रयासों के बाद पेट्रोलपंप को साक्षी के लिए बहाल कर दिया गया। शिव शंकर सिंह एवं नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने उन्हें धमकियां दी थीं जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को सूचित किया था।

18. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि वर्ष 1997 में 4-5 महीने तक शिव शंकर सिंह के साथ साझेदारी में पेट्रोलपंप का कारोबार किया गया था। हालांकि, कोई साझेदारी-विलेख नहीं लिखा गया था। उन्हें नहीं पता कि अपीलकर्ताओं के साथ इलाहाबाद बैंक की पोद्दारडीह शाखा में कोई संयुक्त खाता खोला गया था या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या बिक्री कर पंजीकरण संयुक्त नाम पर था और क्या जमीन शिव शंकर सिंह की थी। साक्षी मानता है।
किउन्होंने शिव शंकर सिंह, रमा शंकर सिंह और राजेश सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था और नर्मदेश्वरप्रसादसिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि पेट्रोलपंप शिव शंकर सिंह और नर्मदेश्वरप्रसाद द्वारा प्रदान किए गए धन की मदद से स्थापित किया गया था, और उनके द्वारा संदर्भितशिकायत उक्त दो व्यक्तियों के खिलाफ दूसरों के उकसावे पर दर्ज किए गए थे।

19. अपूर्वा घोष (अ.सा.16) ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के अलावा जी.टीरोड पर स्थित एक पेट्रोलपंप का भी जिक्र किया है। स्वामित्व अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक व्यक्ति के पास था, लेकिन इसका संचालन नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। सिंह अवैध रूप से. मृतक ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके कारण पेट्रोलपंप का स्वामित्व संबंधित मालिक को वापस मिल गया। साक्षी ने घटना के 5 या 6 दिन पहले कोयला चोरी के संबंध में मृतक द्वारा दिए गए एक बयान का भी उल्लेख किया है, जिसके परिणामस्वरूप नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह और नूरेन मास्टर दोनों को जेल भेज दिया गया।

20. इस प्रकार यह साबित करने के लिए प्रमाण हैं कि जी.टी. रोड पर निरसास्थित एक पेट्रोलपंप। निरसा में सड़क अमलातकिस्कू के नाम पर थी, जिसे अनुसूचित जनजाति के कोटे में उनके नाम पर आवंटित किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि उक्त पेट्रोलपंप को स्थापित करने और चलाने के लिए आम लाल किस्कू ने श्री नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह और शिव शंकर सिंह से मदद ली थी। मूल

आवंटी और अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह और उनके पिता नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और उनके बीच दीवानी और आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया। उस संबंध में आमलालकिस्कू ने मृतक की मदद ली थी, जिन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से श्री किस्कू को पेट्रोलपंप की बहाली सुनिश्चित की थी, जिससे अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह और उनके पिता नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह नाराज थे। इस बात के कई साक्ष्य हैं कि मृतक ने उक्त मामलों के संबंध में इस प्रभाव से किमृतक ने क्षेत्र में कोयला की चोरी को रोकने के लिए पुलिस और प्रसासन की मदद से धनबाद के कोयला माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की थी और मृतक द्वारा उठाए गए क़दमों के परिणाम स्वरुपनर्मेदेश्वर प्रसाद सिंह और नुरेन मास्टर की गिरफ्तारी हुई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों परिस्थितियों ने उस घटना में योगदानदिया जिसके कारण मृतक की हत्या हुई, जिसे अपीलकर्ताओं ने उनकी गतिविधियों में बाधा के रूप में माना था।

21. यह हमें मामले के सबसे नाजुक हिस्से में लाता है जिसमें हम जांच करेंगे कि क्या अभियोजन ने युक्तियुक्त घटनाओं का क्रमजिस परअपीलकर्ताओं के खिलाफ हत्या का आरोप आधारित है। संदेह से परे साबित कर दिया है, इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में निम्नलिखित सुभिन्नविशेषताएं शामिल हैं:

(0) साक्ष्य से पता चलता है कि घटना की तारीख और निकटतम समय पर अपीलकर्ताओं को पंजीकरण संख्या के बिना, एक काले रंग की मोटर साइकिल पर सवार होते देखा गया था।

(i) घटना स्थल से उस मोटर साइकिल को जब्त करने के साक्ष्य, जिस पर मृतक सवार था और जिसे अपीलकर्ता- शिव शंकर सिंह अपने कारखाने से चला रहा था।

(ii) घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण जैसा कि श्री अपूर्व घोष अ.सा.16 और श्री प्रशांत बनर्जीअ.सा. 6 द्वारा दिया गया है।

(iv) चिकित्सा साक्ष्य, अ. सा.16 के कथन का समर्थन करते हुए, कि वह तब घायल हुआ जब वह अपने द्वारा चलाई जा रही मोटर साइकिल से गिर गया और मृतक जो पीछे की सीट पर बैठा था, को अपीलकर्ता उमेश सिंह ने गोली मार दी।हम उपर्युक्त पहलुओं में से प्रत्येक से क्रमिक रूप से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

22. अब्दुल कुदुस अंसारी (अ.सा.1), पहले अपने बयान में विचारण न्यायालय ने कहा कि 14 अप्रैल, 2000 यानी घटना की तारीख को जब वह "अमोना मोड़" (हिंदी में मॉड) पर था, तो उसने अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह को सुबह लगभग 11.15 बजे एक कैलिबरमोटरसाइकिल पर निरसा की ओर जाते देखा। साक्षी ने आगे कहा कि वह दोपहर करीब 1 बजे से 01.15 बजे तक अमोना मोड़ पर था।जब उन्होंने अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह को मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर एक अन्य व्यक्ति के साथ गोबिंदपुर की ओर जाते देखा। दोपहर करीब 2.45 बजे जब वह अपने घर पर थे तो उन्होंने सुना कि मृतक एम.एल.ए. हत्या कर दी गई थी. वह मौके पर पहुंचे जहां पहले से ही

कुछ लोग मौजूद थे। जिस व्यक्ति पर मृतक सवार था, उस मोटरसाइकिल को चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति ने गोलियां चलाई थीं।एक पहचान परीक्षण परेड में साक्षी ने अपीलकर्ता-उमेश सिंह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करने का दावा किया है, जिसे उसने घटना की तारीख पर अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह द्वारा संचालित मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर देखा था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से बड़े पैमाने पर प्रतिपरीक्षण की गई, लेकिन बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके द्वारा दिए गए बयान को संदिग्ध और अयोग्य या विश्वसनीय बना दे। तथ्य यह है कि साक्षी अपूर्वाघोष (अ.सा.16) के बयान का हस्ताक्षरकर्ता है, जो बयान 14 अप्रैल, 2000 को लगभग 04.15 बजे जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। केवल यह दर्शाता है कि वह वास्तव में मृतक की हत्या के बारे में सुनने के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंच गया था, जैसा कि उसने न्यायालय में अपने बयान में कहा था; और यह कि उन्होंने न केवल प्रस्ताव दिया था बल्कि वास्तव में पहचान परीक्षण परेड में पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान भी की थी।

23. इसी आशय का बयान लाल मोहन महतो (अ.सा.2) का है, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि 14 अप्रैल, 2000 को लगभग 11 बजे उसने मृतक को मोटरसाइकिल से धनबाद की ओर जाते देखा, जिसने उसे रतनपुर में पार्टी कार्यालय के पास रुकने को कहा। कुछ देर बाद उसने अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह को बिना पंजीयनसंख्या की मोटरसाइकिल चलाते दोपहर करीब 01.30 बजे निरसा की ओर जाते हुए देखा। उसने फिर से उक्त अपीलकर्ता को उसी रास्ते से गोविंदपुर की ओर जाते देखा मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा है।दोपहर करीब 3 बजे हंगामा मच गया कि एम.एल.ए. श्री गुरुदासचटर्जी की हत्या हो गयी थी। वह जी.टी.रोड पर पहुंचा। देवली में सड़क पर मिला मृतक खून से लथपथ। अपूर्वा घोष (अ.सा.16) ने साक्षी को बताया कि जब अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह मोटरसाइकिल चला रहा था तो पीछे बैठे व्यक्ति ने गोली चलाई थी जिससे मृतक की मौत हो गई। साक्षी ने अपीलकर्ता- शिव शंकर सिंह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो मोटरसाइकिल चला रहा था और अपीलकर्ता-उमेश सिंह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो समुद्र पर पीछे बैठा था।

24.प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि वह मृतक की हत्या का शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था। वहां भीड़ लगी हुई थी, उनके वहां पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. उसने पुलिस को बताया कि वह शिव शंकर सिंह के पीछे बैठे व्यक्ति को पहचान सकता है और वह अपूर्वा घोष (अ. सा.16) को घटना की तारीख से ही जानता है। घटना वाले दिन उसने शिव शंकर सिंह को खालसा होटल के पास खड़ा देखा था. उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था. साक्षी ने महाराष्ट्र समन्वय समिति (एम.सी.सी) का सदस्य होने से इनकार किया। उन्होंने गुरुदासचटर्जी के स्मारक के निर्माण के लिए गठित समिति का सदस्य

होना स्वीकार किया।

25. सुबोध चंद्र कुंभकार (अ.सा.8) के बयान से पता चलता है कि अपीलकर्ता-उमेश सिंह को साक्षी ने 14 अप्रैल, 2000 को सुबह 11.00 बजे अमोना मोड़ (मोड़) पर देखा था जब वह भोजन के लिए साक्षीके रेस्तरां में गया था। साक्षीने आगे कहा कि उसने अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह को उसी दिन सुबह वेटब्रिज (कांटा) के किनारे देखा था। अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह उस समय विजय सिंह चौधरी के साथ थे।

26. प्रतिपरीक्षणमें इस साक्षी ने कहा है कि रेस्तरां (साक्षी द्वारा होटल के रूप में वर्णित) चलाने का लाइसेंस उसके भाई नागेंद्र नाथ कुंभकार के नाम पर है। वह पिछले 10-12 साल से होटल चला रहे हैं। साक्षी नहीं जानते कि उमेश सिंह कहां काम करता था और उससे कोई जान-पहचान नहीं थी. साक्षी ने इस बात से प्रत्याख्यान किया कि वह जब भी उमेश सिंह से मिलता था तो उसका हालचाल पूछता था. उस तिथि को उमेश सिंह ने साक्षी के होटल में खाना खाया और चला गया। रेस्तरां में तपन भारती और मंटो0 जैसे कई अन्य लोग मौजूद थे। साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने झूठा बयान दिया था कि उसने घटना की तिथि पर शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह को देखा था। इस साक्षी के बयान में भी ऐसा कुछ नहीं है जो उसके कथन को विश्वसनीयता के अयोग्य बना सके।

27. ऊपर उल्लिखित सभी गवाहों के बयान, हमारी राय में, संतोषजनक ढंग से साबित करते हैं कि अपीलकर्ताओं को 14 अप्रैल, 2000 को घटना स्थल के इर्द-गिर्द घूमते देखा गया था और लगभग 01.30 बजे अपराहन जो कि निकटतम समय है बिना पंजीयन संख्या के मोटरसाइकिल पर गोविंदपुर की ओर जाते देखा गया था, जब मृतक को गोली मार दी गई थी। अब्दुल कुदुस अंसारी (अ.सा.1) के बयान से यह साबित होता है कि साक्षी ने पहचान परीक्षण परेड में भी जांच के दौरान उमेश सिंह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी, जो अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह के पीछे मोटरसाइकिल चला रहा था।

28. दूसरे पहलू पर आते हुए जिस पर अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश किए हैं,हम बता सकते हैं कि जिस मोटरसाइकिल पर मृतक अपूर्वा घोष अ. सा.16 के साथ यात्रा कर रहा था, उसे जब्ती ज्ञापन के संदर्भ में घटना स्थल से जब्त कर लिया गया था। प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित, अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह के स्वामित्व वाले कल्याण व्यापार ब्रिस्केट उद्योग के परिसर से जब्त की गई थी। यह जब्ती 16 अप्रैल 2000 को दोपहर 02.20 बजे की गई थी. जब्ती ज्ञापन को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल काले रंग की, कैलिबरबजाज निर्मित थी, जिसकी प्लेट पर कोई पंजीकरण संख्या नहीं थी। मोटरसाइकिल से पंजीकरण और दुरुस्त दर्शाने वाला प्रमाण पत्र निरसा के एन.पी. सिंह के पुत्र

जय शंकर सिंह का नाम इसके मालिक के रूप में दिखाते हुए बरामद किया, उल्लेखनीय है कि जय शंकर सिंह कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह के भाई हैं।

29. ऊपर उल्लिखित जब्ती के अलावा, अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व किया है कि 9एम.एम. के खाली कारतूसघटना स्थल से एच.पी.-59-1L और उन पर ट्राइगर मार्क वाली गोलियां जब्त की गईं। एक खाली कारतूस शव के पास से बरामद किया गया, जबकि दूसरा सड़क के दक्षिणी किनारे पर कीचड़ भरे फुटपाथ से बरामद किया गया. यह प्रदर्श-1/9 अंकित जब्ती ज्ञापन से स्पष्ट है। इसके अलावा और अधिक महत्वपूर्ण बात शिकायतकर्ता-अपूर्वा घोष (पी.वी.डब्ल्यू-16) की हल्के हरे रंग की टी-शर्ट की जब्ती है, जिसके हाथ और पीठ पर खून के धब्बे हैं। टी-शर्ट बाएं कंधे के पास फटी हुई है। साक्षी द्वारा पहनी गई नीले रंग की जींस भी जब्त कर ली गई और उसके बाएं घुटने पर चोट लग गई। अब्दुईकुदुस (अ.सा.1) और लाल मोहन महतो (अ.सा.2) के बयान इन बरामदगी का समर्थन करते हैं जो अभियोजन पक्ष के कथन की पुष्टि करते हैं कि घटना उस स्थान पर हुई थी जहां से शव, मोटरसाइकिल, खाली कारतूस और रक्त के धब्बे मिले थे। मिट्टी जब्त कर ली गई। अपूर्वा घोष (अ.सा.16) द्वारा पहनी गई टी-शर्ट और जींस की जब्ती, टी-शर्ट पर खून के धब्बे, बाएं कंधे के पास टी-शर्ट को नुकसान पहुंचाने वाली खरोंचें और बाएं घुटने पर जींस भी अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि करती है कि जब मारा गया था अपीलार्थी-शिव शंकर सिंह द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली से, जिस मोटरसाइकिल पर मृतक यात्रा कर रहा था, उसने अपना संतुलन खो दिया, जिससे दोनों जमीन पर गिर गए और अपूर्वा घोष द्वारा पहने गए कपड़ों को नुकसान पहुंचा (अ.सा.16)) और उसके व्यक्ति को चोटें आईं। हमारी राय में, नीचे दी गई अदालतों ने इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की सही सराहना की है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ऊपर उल्लिखित वस्तुओं की जब्ती स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के प्रकथनऔर आरोप के तहत साक्ष्य के अनुक्रम का समर्थन करती है।

30. तीसरा पहलू जिस पर अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किया है और जिस पर जाने से पहले हमें जांच करने की जरूरत है प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का बयान चिकित्सा साक्ष्य है, जो अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के कथन का समर्थन करता है कि अपीलकर्ता-उमेश सिंह द्वारा मृतक को गोली मारने के बाद मोटर साइकिल से गिरने पर उसे चोटें लगी थीं।इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रामजी प्रसाद (अ.सा. 17) द्वारा चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुर को किए गए बी अनुरोध पर भरोसा किया गया है, जिसके द्वारा अपूर्बा घोष (अ.सा.16) को चोट की रिपोर्ट जारी करने के अनुरोध के साथ चिकित्सा के लिए भेजा गया था। मांग दिनांक 14 अप्रैल, 2000 की है और इसमें साक्षी को सीने और शरीर में दर्द की शिकायत के अलावा तीन चोटों का जिक्र है। डॉ. एस.सी.प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुर के कुंजनी ने तदनुसार रात 10.25 बजे घायल अपूर्वा घोष

(अ.सा.16) की जांच की। 14 अप्रैल, 2000 को और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. सीने में दर्द की शिकायत.
2. बाएं घुटने पर लगभग ½ X ½''चोट मेंखरोंच काला रंग.
3. बाएं पैर के पर्श्वियमलुई पर चोट है जो ½ X ½'' आकार" का है।
4. चोट आकार में लगभग ½ त्रिज्या में गोलाकार और बाएं कंधे पर काली पपड़ी।
5. शरीर दर्द की शिकायत.

31. प्रमाणपत्र में कहा गया है कि चोटें 8 घंटे के भीतर लगी थीं और कठोर और कुंद पदार्थ के कारण लगी थीं। हमारी राय में, मांग करना, घायल की चिकित्सा जांच, उसके शरीर पर चोटों की उपस्थिति, अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से साबित की गई है और अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करने के लिए एक दीर्घ रास्ता तय किया गया है कि अपूर्वा घोष (अ.सा.16) गाड़ी चला रहा था। घटना के समय वह मोटरसाइकिल चला रहा था और पिछली सीट पर बैठे मृतक को अपीलकर्ता-उमेश सिंह ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसका संतुलन खो गया और वह घायल हो गया।

32. अब घटना के प्रत्यक्षदर्शी विवरण की जांच करने का समय आ गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में अपूर्वा घोष (अ.सा.16) ने कहा कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने अपने एक दोस्त से हीरो होंडा मोटरसाइकिल उधार ली थी और पार्टी कार्यालय का दौरा करने के बाद सुबह 07.00 बजे मृतक गुरुदासचटर्जी के घर पहुंचे। वहां कुछ लोगों से बात करते हुए मृतक सुबह 09.30 बजे अपने आवास पर लौटा, खाना खाया और लगभग 10.15 बजे धनबाद के लिए निकल गया। रास्ते में वे मायलसिया कंपनी गए और अंत में 11.00 बजे वहां से धनबाद के लिए निकले। गोविंदपुर ब्लॉक में उनकी मुलाकात लाल मोहन से हुई। महतो (अ.सा.2) को मृतक ने धनबाद से लौटने तक पार्टी कार्यालय में रहने के लिए कहा था। वे दोपहर करीब 12 बजे धनबाद से चले और बैठक के लिए कल्याण भवन पहुंचे, जहां विधायक ने वहां जुटे लोगों से मुलाकात की. इस बीच साक्षी खनन कार्यालय में गया जो बंद था और चपरासी को रॉयल्टी के लिए 9850/- रुपये की राशि जमा करने के लिए दी। इसके बाद साक्षी उस स्थान पर लौट आया जहां बैठक बुलाई गई थी और दोपहर करीब 1.30 बजे निरसा के लिए वापस चला गया। मोटरसाइकिल पर मृतक पीछे की सीट पर बैठा था। दोपहर करीब 2.45 बजे उन्होंने जी.टी रोड स्थित प्रीमियरहार्ड कोक को पार किया, रोड पर जब साक्षी ने पीछे से फायरिंग की आवाज सुनी. इस पर वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक 100 सी.सी काले रंग की कैलिबरमोटरसाइकिल, जिसे अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह चला रहा था, उसके बाईं ओर एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था, जिसके दाहिने हाथ में पिस्तौल थी। व्यक्ति ने दूसरी गोली चलाई जो मृतक को लगी और वह साक्षी की पीठ पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल का संतुलन असंतुलित हो गया और साक्षी और मृतक जमीन पर

गिर पड़े। अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह ने कुछ दूरी पर अपने द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल रोकी, जिसके बाद पीछे बैठा व्यक्ति मृतक की ओर दौड़ा और साक्षी को मौखिक रूप से गाली दी और उसे भाग जाने के लिए कहा। यह देखकर साक्षी पश्चिम की ओर भागने लगी। अज्ञात व्यक्ति ने विधायक के पास जाकर एक और गोली मारी और शव को सड़क के किनारे ढलान की ओर धकेल दिया. इसके बाद अज्ञात व्यक्ति भाग गया शिव शंकर सिंह द्वारा संचालित मोटरसाइकिल के बारे में रिपोर्ट दी, जोचलते हुए मोटरसाइकिल के इंजन के साथ उनका इंतजार कर रहा था।

33. साक्षी ने आगे कहा कि घटना स्थल के पास लाल मोहन महतो (अ. सा.2) और अब्दुलकुदुस अंसारी (अ. सा.1) सहित भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने कहा कि उन्होंने शिव शंकर सिंह को बिना पंजीकरण नंबर के 100 सी.सी काले रंग की कैलिबरमोटरसाइकिल चलाते हुए देखा था। निरसा की ओर. कुछ देर बाद उन्होंने अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह को निरसा से वापस गोविंदपुर की ओर जाते देखा। दोपहर करीब 01.15 बजे इन दोनों गवाहों ने शिव शंकर सिंह को फिर से उसी मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर बैठे एक व्यक्ति के साथ गोविंदपुर की ओर जाते देखा। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को साक्षी ने साबित कर दिया, जिस बयान को प्रदर्श-1/6 के रूप में चिह्नित किया गया है। साक्षी ने न्यायालय में मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति के रूप में शिव शंकर सिंह और मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उमेश सिंह की पहचान की। वह व्यक्ति जिसने गोलियां चलाईं जिससे मृतक की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगी चोटों का उपचार कराया गया और उनके खून से सने कपड़े और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई।

34. साक्षी से बड़े पैमाने पर प्रतिपरीक्षण की गई लेकिन उसके बयान को नीचे की न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने कथन को सुसंगत और विश्वसनीय दोनों पाया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित ने हमारे सामने इस साक्षी के पूरे बयान को पढ़ने में कष्ट उठाया, यह दिखाने के प्रयास में कि घटना के समय वह वास्तव में मृतक के साथ मौके पर मौजूद नहीं था और न ही अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, या अन्यथा उन्होंने आग्रह किया कि मोटरसाइकिल चलाते समय साक्षी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा और हमलावर की जो क्षणिक झलक उसे मिली होगी वह साक्षी के लिए उसे पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हम ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले, साक्षी ने जिस तरह से घटना के बारे में बताया है या मौके पर उसकी उपस्थिति के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंभव नहीं है। अपीलकर्ताओं और साक्षी के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी का कोई सुझाव नहीं है और न ही अभियोजन पक्ष के पक्ष में कोई पूर्वाग्रह है उनके कथन को संदिग्ध बनाने के लिए, साक्षी द्वारा दिया गया विवरण स्वाभाविक है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भौतिक असंगति या असंभवता नहीं है। ऐसा कहने के बाद हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौके पर साक्षी की मौजूदगी अ.सा.1 और 2, अब्दुलकुदुस अंसारी और

लाल मोहन महतो द्वारा साबित की गई है, दोनों मृतक की हत्या के बारे में सुनने के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे और अपूर्वा से मुलाकात की। घोष (अ.सा.16) मौके पर। इन दोनों गवाहों ने गवाही दी है कि साक्षी द्वारा पहनी गई टी-शर्ट खून से सनी हुई थी और वह जिस मोटरसाइकिल को चला रहा था वह कुछ दूरी पर मृतक के शव के साथ घटनास्थल पर पड़ी थी। इन दोनों ने पुलिस के समक्ष अपूर्वा घोष (अ. सा.16) द्वारा दिए गए बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जो घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट का गठन करता है जिसमें दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने शिव शंकर सिंह को एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था जिसे उन्होंने पहचान सके. मौके पर अपूर्वा घोष (अ.सा.16) की मौजूदगी की गवाही प्रशांत बनर्जी (अ. सा. 6) ने भी दी है, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है। इसके अलावा संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपूर्वा घोष (अ. सा.16) के शरीर पर चोटों की उपस्थिति, और यह तथ्य कि उनके द्वारा पहनी गई टी-शर्ट उनके द्वारा लगी चोटों के अनुरूप दो अलग-अलग स्थानों पर फटी हुई थी, इसकीभी पुष्टि करती है। साक्षी द्वारा दिया गया कथन कि वह मोटरसाइकिल चला रहा था जैसा कि उसने दावा किया था जब मृतक को गोली मार दी गई थी।

35. उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी पुलिस दैनंदनी में दर्ज की गई थी और अपूर्वा घोष (अ. सा.16) की चिकित्सकीय जांच 14 अप्रैल, 2000 को ही की गई थी, हालांकि देर शाम तक। ये सभी परिस्थितियाँ साक्षी के रोपित साक्षी होने की संभावना को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। इस साक्षी की गवाही और अ.सा.16अब्दुलकुदुस अंसारी और लाल मोहन महतो के बयान से पुष्टि होता है कि वह घटना से पहले मृतक के साथ था और घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर था, उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे थे और उसके द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पास में पड़ी थी। इसलिए, दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है नीचे की दो न्यायालयों द्वारा ये कहा गया है कि घटना के समय मृतक अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर धनबाद से निरसा तक यात्रा कर रहा था और इसलिए, वह एक सक्षम साक्षी था, जो इस घटना की गवाही दे सकता था और उसने भी दी है।जैसा कि वैसा ही हुआ।

36. श्री ललित ने तब तर्क दिया कि जब एक पहचान परीक्षण परेड आयोजित की गई थी जिसमें अपीलकर्ता-उमेश सिंह की पहचान अब्दुलकुदुस अंसारी (अ. सा.1) द्वारा उस व्यक्ति के रूप में की गई थी जो मोटरसाइकिल चलाने वाले शिव शंकर सिंह के साथ पीछे बैठा था, अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के कथन को भी उसके लिए एक पहचान परीक्षण परेड आयोजित करके परीक्षण के लिए नहीं रखा गया था। उन्होंने आग्रह किया कि हालांकि न्यायालय में अभियुक्तों की पहचान ही ठोस साक्ष्य है और पहचान परीक्षण परेड का मतलब केवल यह आश्वस्त करना है कि मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इस साक्षी के लिए पहचान परीक्षण परेड साक्षी की विश्वसनीयता और उसके

कथन के बारे में गंभीर संदेह पैदा करेगी कि यह अपीलकर्ता-उमेश सिंह ही था जिसने मृतक को गोली मारी थी। कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 (1) एस.सी.आर 678 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्रीमानललित ने तर्क दिया कि उमेश सिंह की पहचान ठीक से नहीं की गई थी और इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता शिव शंकर सिंह को भी दोषी ठहराने के लिए धारा 34 उपलब्ध नहीं होगी।

37. यह काफी हद तक स्थापित है कि न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान करना किसी समस्या में ठोस साक्ष्य का गठन करता है, हालांकि मुकदमे में प्रथम बार की गई ऐसी कोई भी पहचान अक्सर कमजोर चरित्र का साक्ष्य प्रतीत हो सकती है।ऐसा होने पर साक्ष्यों की विशवसनीयता को मजबूत करने की दृष्टि से एक पहचान परीक्षण परेड आयोजित की जाती है। इस तरह की टी.आई.पीन्यायालय में उस साक्षी को पुष्टि प्रदान करती है जो अन्यथा उसके लिए अज्ञात अभियुक्त की पहचान करने का दावा करता है। इसलिए, पहचान परीक्षण परेड जांच के दायरे में बनी हुई है,कि संहिता आपराधिक प्रक्रिया जांच एजेंसी को आवश्यक रूप से पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं करती है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत अभियुक्त पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने के अधिकार का दावा कर सके। उस दृष्टि से, पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने में जांच एजेंसी की विफलता का न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को कमजोर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी पहचान से जुड़ा महत्व क्या होना चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित करेगा। उपयुक्त मामलों में न्यायालय पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इस विषय पर इस न्यायालय के निर्णय महान हैं। इसलिए, ऐसे सभी निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक है। हम मलखानसिंह और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों के संदर्भ से संतुष्ट हैं।

म.प्र. राज्य (2003) 5 एस.सी.सी 746: "यह कहना बेकार है कि वास्तविक साक्ष्य न्यायालय में पहचान का सबूत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से अच्छी तरह से तय हो गई है।तथ्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं।एक सामान्य नियम के रूप में, किसी साक्षी का वास्तविक साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान होता है। प्रथम बार मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान मात्र का साक्ष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर चरित्र का है।इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विशवसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है। तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर पहले की पहचान की कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के लिए न्यायालय में गवाहों की शपथ ली गई गवाही की पुष्टि की तलाश की जाती है जो उनके लिए अजनबी हैं।

यद्दपि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होती है जिसकी गवाही पर वह ऐसे या अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान परीक्षण परेड के चरण से संबंधित हैं, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को पहचान परीक्षणपरेड का दावा करने के लिए आयोजित करने या अभियुक्त को अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। वे ठोस सबूत नहीं बनाते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान से जुड़ा महत्व तथ्य की न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। (देखें कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन ए.आई.आर 1958 एस.सी 350, वैकुंठम चंद्रप्पा बनाम स्टेट ऑफ ए.पी.) ए.आई.आर 1960 एस.सी.1340, बुद्धसेन बनाम यू.पी. राज्य। (1970) 2 एस.सी.सी 128 और रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य। (1971) 2 एससीसी 715)

" 38. हम प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एस.सी.सी 150 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं जहां इस न्यायालय ने कहा था:

"20. यह न तो संभव है और न ही समझदारी है कि उस अवधि के बारे में कोई अपरिवर्तनीय नियम बनाया जाए जिसके भीतर एक पहचान परीक्षण परेड आयोजित की जानी चाहिए, या गवाहों की संख्या, जिन्हें अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसकी सही पहचान करनी चाहिए। ये मामले अवश्य होने चाहिए यदि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेने के लिए एक नियम निर्धारित किया जाता है जिसके भीतर पहचान परीक्षण परेड आयोजित की जानी चाहिए,तो इससे केवल पेशेवर अपराधियों को लाभ होगा जिनके मामलों में गिरफ्तारी में देरी हो रही है। चूँकि पुलिस के पास उनकी पहचान के बारे में कोई स्पष्ट सुराग नहीं है, वे पीड़ितों के लिए अज्ञात व्यक्ति हैं।इसलिए, उन्हें दोषसिद्धि से बचने के लिए केवल निर्धारित अवधि के लिए अपनी गिरफ्तारी से बचना होगा। इसी तरह, ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिन्हें अपनी प्रकृति के कारण एक ही साक्षी देख सकता है, जैसे बलात्कार अपराधी हो सकता है

पीड़ित के लिए अज्ञात और मामला पूरी तरह से पीड़ित द्वारा की गई पहचान पर निर्भर करता है, जो अन्यथा सत्य और विश्वसनीय पाया जाता है। यह तर्क देने के लिए क्या औचित्य दिया जा सकता है कि ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से दोषमुक्त होना चाहिए क्योंकि क्या केवल एक ही पहचान वाला साक्षी है?

इसलिए विवेक की मांग है कि इन मामलों को तथ्यात्मक न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिन्हें ऐसी पहचान की स्वीकार्यता या अस्वीकृति पर फैसला देने से पहले अभिलेख पर मौजूद सबूतों के आलोक में मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

" 39. का निर्णय मलखानसिंह मामले (सु.प्रा) और एजीलअहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (16) एस.सी.सी 372; में इस न्यायालय ने तर्क की एक समान पंक्ति अपनाई है।

40. जांच एजेंसी द्वारा अपूर्वाघोष (अ.सा.16) को पहचान परीक्षण परेड के साथ जोड़ने में चूक, जिसमें अब्दुलकुदुस अंसारी (अ.सा.1) ने उमेश सिंह की पहचान की थी, कानूनी तौर पर अभियोजन के मामले के लिए घातक साबित नहीं होगी, हालांकि जांच एजेंसी ऐसा कर सकती थी। वास्तव में उक्त साक्षी को पहचान परीक्षण परेड के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए था, खासकर तब जब साक्षी ने घटना से पहले अपीलकर्ता-उमेश सिंह के साथ परिचित होने का दावा नहीं किया था। फिर भी, हमारी राय में, ऐसा करने से उसकी चूँकि, न्यायालय में अपूर्वाघोष (अ.सा.16) द्वारा उक्त अपीलकर्ता की पहचान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है और अपीलकर्ता-उमेश सिंह के कार्यों को देखने और निरीक्षण करने के लिए अपूर्वा घोष (अ. सा.16) के पास जो अवसर था, वह साक्षी के लिए न्यायालय में उसे पहचानने के लिए पर्याप्त था। यह अवसर हमलावरों की क्षणिक झलक से कहीं अधिक था। अपीलकर्ता-उमेश सिंह को साक्षी के पीछे बैठे व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर, उसकी मोटरसाइकिल के करीब आते, मृतक को नजदीक से गोली मारते हुए, कुछ दूरी पर रुकते हुए और मोटरसाइकिल पर वापस आते हुए देखा, जहां मृतक और साक्षी गिरे थे, गालियां दे रहे थे और साक्षी को धमकाते हुए मौके से भाग जाने को कहा। यह सब यह धारणा बनाने के लिए पर्याप्त था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की स्मृति में अंकित रहेंगी जो इस तरह के दर्दनाक अनुभव से गुजरेगा। यह ऐसा मामला नहीं है जहां किसी अन्य मोटरसाइकिल चालक पर एक मौका और आकस्मिक नज़र संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई प्रभाव छोड़े बिना गुजर सकती है। यह एक ऐसा मामला है जहां घटना का दुःस्वप्न उस व्यक्ति की स्मृति में बना रहेगा और वास्तव में उस व्यक्ति को परेशान करेगा जो लंबे समय तक अनुभव से गुजर चुका है।इसलिए, पहचान परीक्षण परेड की अनुपस्थिति और साक्षी को उसके साथ जोड़ने में जांच अधिकारी की विफलता से तत्काल मामले में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है।

41. श्री ललित ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले और अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के बयान के अनुसार, जब मृतक को गोली मारी गई तो उसके द्वारा पहनी गई टी-शर्ट पर खून का दाग लग गया था। उन्होंने आग्रह किया कि हालांकि टी-शर्ट को जांच अधिकारी ने जब्त कर लिया था, लेकिन उसे जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था और टी-शर्ट पर पाए गए मृतक के रक्त समूह के साथ मिलान करने के लिए नहीं भेजा गया था और न ही खाली कारतूस जब्त किए गए थे। घटनास्थल प्राक्षेपिक विशेषज्ञ को भेजा गया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह एक गंभीर विसंगति थी, जिसने अभियोजन पक्ष के कथन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला कि अपूर्वा घोष (अ.सा.16) वास्तव में उस मोटरसाइकिल का चालक था, जिस पर मृतक पीछे बैठा था।

42. यह सच है कि न केवल अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के अनुसार, बल्कि अब्दुलकुदुस अंसारी(अ.सा.1),

लाल मोहन महतो (अ.सा.2) और जांच अधिकारी के अनुसार, अपूर्वा घोष (अ.सा.16) द्वारा पहनी गई टी-शर्ट खून से सनी हुई थी। जिसे पहले उल्लिखित जब्ती ज्ञापन के अनुसार जब्त कर लिया गया था। यह भी सच है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का संदर्भ निश्चित रूप से इन गवाहों द्वारा टी-शर्ट पर खून के धब्बे होने और रक्त समूह मृतक के समान होने के बारे में दिए गए बयान की पुष्टि करेगा। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का संदर्भ देने में अभियोजन पक्ष की विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जो अपूर्वा घोष (अ.सा.16) द्वारा दिए गए कथन को मजबूत कर सकता था, यह भी विवाद में नहीं है। यद्दपि, सवाल यह है कि क्या संदर्भ देने में निवेश एजेंसी की विफलता मामले की परिस्थितियों में या तो गवाहों के कथन को बदनाम करेगी कि जब टी-शर्ट को जब्त किया गया था तो उस पर खून का दाग था या उस तरह की कमी होगी जो प्रभावित करेगी अभियोजन कथन हमारा उत्तर नकारात्मक है. मामले की परिस्थितियों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का संदर्भ देने में विफलता मामले की जांच में कमी से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी किसी भी कमी से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अभियोजन का मामला पूरी तरह से श्रेय के योग्य नहीं है। जांच एजेंसी की ओर से चूक और चूक के माध्यम से जांच में कमियां अपने आप में अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज करने को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। रामबिहारी यादव में. बिहार राज्य और अन्य। (1998) 4 एससीसी 517 इस न्यायालय ने मामलों के घटना जांच के प्रभाव से निपटते हुए कहा कि यदि ऐसी लापरवाह जांच या जांच के दौरान की गई चूक और चूक को प्राथमिकता दी गई, तो इससे लोगों का विश्वास हिल जाएगा। न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी में बल्कि न्याय प्रशासन में भी। इस न्यायालय ने सुरेंद्र पासवान बनाम झारखंड राज्य (2003) 12 एस.सी.सी 360 में भी यही विचार व्यक्त किया था। उस मामले में जांच अधिकारी ने मौके से एकत्र किए गए जैव नमूनों को रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा था। इस न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि नमूना नहीं भेजा गया था, जांच में कमी हो सकती है, लेकिन इससे प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य मूल्य में कमी नहीं आती है।

43. अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य में। (2003) 2 एससीसी 518 जांच एजेंसी ने आग्नेयास्त्र और खाली गोलियों को तुलना के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा था।बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले में चूक एक बड़ी खामी थी जो अभियोजन कथन को बदनाम करने के लिए पर्याप्त थी। यद्दपि, इस न्यायालय ने उस

तर्क को खारिज कर दिया और माना कि ऐसे मामले में जहां जांच दोषपूर्ण पाई जाती है, न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में अधिक सतर्क रहना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसे किसी भी दोष के कारण अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज कर देना सही नहीं होगा जांच

अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगी, जिसने जांच को जानबूझकर दोषपूर्ण रखा होगा। इस न्यायालय ने कहा:

शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य 351 और अन्य (टी.एस. ठाकुर, जे.]

"यह निश्चित रूप से बेहतर होता यदि जांच एजेंसी ने तुलना के लिए आग्नेयास्त्रों और खोखों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा होता। हालांकि, प्राक्षेपिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट किसी भी मामले में एक विशेषज्ञ की राय की प्रकृति में होगी और वही है निर्णायक नहीं। तुलना के लिए आग्नेयास्त्रों और खाली कारतूसों को भेजने में जांच अधिकारी की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है, जब यह बात प्रत्यक्षदर्शी की गवाही से पूरी तरह से स्थापित हो गई है, जिनकी मौके परउपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सभी बंदूक की गोली से घायल हुए थे। घटना में।

"44. उपरोक्त के आलोक में जांच कार्यालय की ओर से विफलता। खून से सने कपड़ों को एफ.एस.एल और खाली कारतूसों को प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के पास भेजना प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयान को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के संदर्भ की अधिक प्रासंगिकता नहीं होती क्योंकि जिस हथियार से गोलियां चलाई गई थीं वह अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था और इसलिए, विशेषज्ञ द्वारा तुलना के लिए उपलब्ध नहीं था।

45. श्री ललित द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अपूर्वाघोष (अ.सा.16) द्वारा दिए गए बयान के बारे में कि उसने मोटरसाइकिल उधार ली थी, जिस पर मृतक उस दिन पीछे की सीट पर उसके साथ यात्रा कर रहा था, उसके मालिक की जांच से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। मोटरसाइकिल विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तथ्य यह है कि अपूर्वा घोष (अ. सा.16) या मालिक द्वारा मोटरसाइकिल को अपने पक्ष में जारी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले की सत्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हम ऐसा नहीं सोचते। तथ्य

यह है कि जिस मोटरसाइकिल पर मृतक अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के साथ यात्रा कर रहा था, वह उसी स्थान पर पाई गई थी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से घटना काफी हद तक साबित होती है। यह भी स्पष्ट है कि विचाराधीन मोटरसाइकिल न तो मृतक की थी और न ही अपूर्वा घोष (अ.सा.16) की थी।इन परिस्थितियों में अपूर्व घोष (पी.वी.डब्ल्यू16) के कथन में कोई असंभवता नहीं है कि उक्त मोटरसाइकिल उसने अपने दोस्त से उधार ली थी। केवल यह तथ्य कि मोटरसाइकिल के मालिक या अपूर्वा घोष (अ.सा.16) ने अपने पक्ष में मोटरसाइकिल की रिहाई के लिए आवेदन नहीं किया था, अभियोजन मामले को कम से कम प्रभावित नहीं करता है, भले ही यह इसे पूरी तरह से संदिग्ध बना देता है।

46. श्री ललित द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के दावे के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता

शिव शंकर सिंह का नाम लिया गया होता, तो कोई कारण नहीं है कि जांच अधिकारी मामले में कोई भी आगे कदम उठाने से पहले उनके पास नहीं जाते। यह तर्क हमें पसंद नहीं आया।

विचाराधीन घटना दोपहर करीब 02.45 बजे हुई थी। जांच अधिकारी ने शाम करीब 04.15 बजे अपूर्वा घोष (अ.सा.16) का बयान दर्ज किया। जिसके आधार पर उसी दिन थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2000 दर्ज कर ली गई। प्रथम सूचना की प्रति क्षेत्राधिकारी को 15.04.2000 को प्राप्त हुई। बयान पर अपूर्वा घोष (अ.सा.16) के अलावा अब्दुलकुदुस अंसारी (अ.सा.1) और लाल मोहन महतो (अ.सा.2) ने भी हस्ताक्षर किए थे। तीनों साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए थे, उस पर कायम हैं। मामले के पंजीकरण और प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को भेजने में किसी भी अस्पष्टीकृत या असामान्य देरी के अभाव में हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि स्पष्ट मामलों की वास्तविक स्थिति नहीं है जैसा कि श्री ललित ने दावा किया है।

47. अब हम प्रशांत बनर्जी (अ.सा.6) के बयान पर गौर कर सकते हैं जो घटना का दूसरा प्रत्यक्षदर्शी है। इस साक्षी नेविचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा कि 14 अप्रैल, 2000 को वह घटना स्थल से लगभग 100 गज की दूरी पर था। साक्षी के अनुसार जब वह रवि रंजन प्रसाद के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर जा रहा था, तो मृतक गुरदासचटर्जी दूसरी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ कर जा रहे थे. अपीलार्थी-शिव शंकर सिंह मोटरसाइकिल पर मृतक का पीछा कर रहा था और अपीलार्थी-उमेश सिंह उस मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। साक्षी ने आगे कहा कि अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह ने मोटरसाइकिल को उस मोटरसाइकिल के बाईं ओर ले लिया, जिस पर मृतक यात्रा कर रहा था, जिसके बाद अपीलकर्ता-उमेश सिंह, जो पीछे की सीट पर बैठा था, ने दो गोलियां चलाईं, जिसके कारण मृतक जी.टी रोड के दक्षिण की ओर गिर गया। अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह की मोटरसाइकिल थोड़ी दूरी पर रुकी, जिस पर अपीलकर्ता-उमेश सिंह मोटरसाइकिल से उतर गए और उस स्थान पर आए जहां मृतक अयिंग कर रहा था और फिर उस पर एक और गोली चलाई, उसे धक्का दिया जिससे उसका शरीर लुढ़क गया। अपीलकर्ता-उमेश सिंह फिर मोटरसाइकिल पर वापस आये और निरसा की ओर चले गये। साक्षी ने आगे कहा कि वह दोनों अभियुक्त अपीलकर्ताओं को जानता है।

48. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि वह घटना के बाद 10.15 मिनट तक मौके पर रहा, उस दौरान रवि रंजन उसके साथ था। इसके बाद वह और रवि रंजन पंचाट की ओर बढ़े। उसने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई लेकिन साक्षी ने उसकी पत्नी, बेटे और पिता को घटना के बारे में बताया। वह मृतक को घटना के 10-12 साल पहले से जानता था लेकिन उसके घर नहीं गया था। उन्हें अप्रैल 2000 के महीने में पुलिस स्टेशन में बुलाया गया लेकिन प्रभारी अधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। निरसा में घटना के डेढ़ माह बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज

किया. साक्षी ने आगे कहा कि मोटरसाइकिल से पहली गोली पीछे से चलाई गई थी, जिससे विधायक के सिर का पिछला हिस्सा घायल हो गया था, जबकि दूसरी गोली अपीलकर्ता-उमेश सिंह

ने मोटरसाइकिल से उतरने के बाद चलाई थी, जिससे मृतक भी घायल हो गया था। उसका सिर,साक्षी ने आगे कहा कि जिस समय वह मौके पर मौजूद रहा, उस दौरान घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी किसी ने व्यक्ति से बात नहीं की और न ही याद है कि किसी व्यक्ति ने उनसे बात की हो। साक्षी ने उसे दिए गए सुझाव से भी इनकार किया कि अपीलकर्ताओं-उमेश सिंह और शिव शंकर सिंह के साथ उसकी पुरानी दोस्ती थी या वह अक्सर दोनों अपीलकर्ताओं के घर जाता था। साक्षी ने कहा कि वह 7-8 मिनट के बाद उस स्थान पर गया, जहां गुरदासचटर्जी गिरे थे और उनके वहां पहुंचने से पहले 10-15 लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। साक्षी ने इन सुझावों का खंडन किया कि वह मृतक-गुरदासचटर्जी के राजनीतिक दल का सदस्य है।

49. श्री ललित ने तर्क दिया कि श्री प्रशांत बनर्जी (अ.सा.-6) प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे क्योंकि वह घटना के 7-8 मिनट बाद घटना स्थल पर आये थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि साक्षी ने 6 जून, 2000 तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था जो उसकी कहानी को संदिग्ध बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत बनर्जी (अ.सा.-6) का बयान दर्ज करने में डेढ़ महीने की देरी हुई है। सवाल यह है कि क्या उसे अपने आप में उसकी गवाही को अस्वीकार करने का औचित्य साबित करना चाहिए। हमारा उत्तर नकारात्मक है. कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी विशेष साक्षी की जांच में देरी, सार्वभौमिक आवेदन के नियम के रूप में, अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनाती है। यह मामले की परिस्थितियों और जांच किए जा रहे अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह उस जानकारी की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा जिसके द्वारा जांच अधिकारी साक्षी तक पहुंच सके और उससे पूछताछ कर सके।यह उस स्पष्टीकरण पर भी निर्भर करेगा, यदि कोई हो, जो जांच अधिकारी देरी के लिए पेश कर सकता है। ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि एक विशेष साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन वह ऐसी किसी भी चूक के लिए संभावित स्पष्टीकरण के बिना उससे पूछताछ नहीं करता है, देरी महत्वपूर्ण हो सकती है और न्यायालय को बारीकी से जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। और साक्षी के कथन का मूल्यांकन करें, लेकिन ऐसे मामले में जहां जांच अधिकारी के पास किसी विशेष व्यक्ति के घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे साक्षी की जांच में देरी से साक्षी की गवाही वास्तव में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। अभियोजन कथन पर संदेह करती हैं या उसे प्रभावित करती हैं। रणबीर और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय से हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। पंजाब राज्य (1973) 2 एस.सी.सी. 444 जहां इस न्यायालय ने एक साक्षी की देरी से जांच के प्रभाव की जांच की और कहा:- जांच के दौरान

किसी साक्षी से पूछताछ में देरी का सवाल केवल तभी प्रासंगिक है जब यह अभियोजन पक्ष के मामले का झूठा समर्थन करने के लिए एक भड़के हुए साक्षी को पेश करने के उद्देश्य से जांच

एजेंसी द्वारा कुछ अनुचित व्यवहार का संकेत और संकेत देता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि "जांच अधिकारी से देरी और उसके कारणों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाए.."

50. फिर से सतबीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 13 एस.सी.सी. 790 साक्षी की जांच में देरी को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना गया।

इस न्यायालय ने कहा:

"32. श्री सुशील कुमार का यह तर्क कि जांच अधिकारी ने 27 जनवरी 1997 को कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की, एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता; पहला, क्योंकि जांच में देरी से अभियुक्त को लाभ नहीं हो सकता है; दूसरे, क्योंकि जांच अधिकारी (अ. सा.8) ने अपने बयान में गवाहों की देरी से जांच के कारणों को समझाया...

" 51. जांच अधिकारी ने, तत्काल मामले में, कहा है कि प्रशांत बनर्जी (अ. सा.6) ने उनसे मुलाकात की थी। पहली बार 2 जून 2000 को और उसी दिन उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने आगे कहा है कि 2 जून, 2000 से पहले उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि प्रशांत बनर्जी (अ.सा.6)इस घटना का साक्षी था। यहां तक कि प्रशांत बनर्जी ने भी सफाई दी है कि जांच अधिकारी उन तक कैसे पहुंचे।उनके बयान के अनुसार इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया था कि वह उस व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद अपना बयान दर्ज करने आए थे, जो घटना की तारीख पर उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। पीछे बैठे रवि रंजन ने उन्हें यह भी बताया था कि उनका बयान दर्ज कर लिया गया है पुलिस,विचारण न्यायालय और उच्चन्यायालय ने देरी के लिए जांच अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है। हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने या इस साक्षी की गवाही को केवल इसलिए खारिज करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि उसका बयान घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था।

52. फिर श्री ललित द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के दूसरे पहलू पर आते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया विवाद साक्षी के बयान के सटीक पढ़ने पर आधारित नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने घटना की तारीख पर मृतक को मोटरसाइकिल पर जाते देखा था और अपीलकर्ता-शिव शंकर सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल मृतक की मोटरसाइकिल के बाईं ओर ला दी थी, जिसके बाद अपीलकर्ता-उमेश सिंह ने पीछे बैठे व्यक्ति मृतक के सिर में गोली मार दी थी। साक्षी द्वारा दिए गए कथन से यह समझ में नहीं आता कि घटना घटित होने के बाद साक्षी घटना स्थल पर पहुंचा था। साक्षी ने जो कहा है वह यह है कि घटना समाप्त होने के 5-7 मिनट बाद वह उस स्थान पर गया जहां मृतक गिरा था। घटना देखने को उस स्थान पर जाने से

भ्रमित नहीं किया जा सकता, जहां मृतक गिरा था। साक्षी के बयान को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर हमें उसमें कोई ऐसी कमजोरी नजर नहीं आती जो अ.सा.6 के बयान को खारिज करने को उचित ठहरा

सके। हमारी राय में, नीचे की दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाते हुए प्रशांत बनर्जीअ. सा.6 की गवाही को सही माना है।

53. यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या यह मामला उन दुर्लभतम मामलों में से एक है जिसमें उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड की चरम सजा दे सकता था।

54. जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य (1973) 1 एससीसी 20 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि गैर इरादतन हत्या के मामलों में सामान्य नियम अपराधी को आजीवन कारावास की सजा देना है, हालांकि न्यायालय ऐसा कर सकता है। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से उस नियम से हटें और मृत्युदंड दें। न्यायालय ने माना कि बड़ी संख्या में हत्याएं सामान्य प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अवधारणा में शैतानी और कार्यान्वयन में क्रूर हैं। ऐसी हत्याओं को हत्यारे के सामाजिक कुसमायोजन का बहाना ढूंढकर टाला नहीं जा सकता। ऐसे अपराधों की व्यापकता कई लोगों की राय में मृत्युदंड की अनिवार्यता को न केवल निवारण के रूप में बल्कि समाज द्वारा जोरदार अस्वीकृति के संकेत के रूप में दर्शाती है।

55. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस.सी.सी 684 में इस न्यायालय ने धारा 302 आई.पी.सी की संवैधानिक वैधता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) में प्रदान की गई सजा प्रक्रिया की जांच की और फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं किया। आगे यह माना गया कि हत्या के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा के सवाल पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध के साथ-साथ अपराधी के संबंध में हर प्रासंगिक परिस्थिति को दर्ज करना चाहिए और यदि न्यायालय को लगता है कि अपराध असाधारण रूप से घृणित और जघन्य है, इसके प्रारूप और इसके कार्यान्वयन के तरीके के कारण यह चरित्र और गठन बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर खतरे का स्रोत है, यह मृत्युदंड दे सकता है। प्रासंगिक विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए: किसी अपराधी को दी जाने वाली सजा के निर्धारण के सवाल पर, इस न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है, जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो। इस न्यायालय ने कहा:

"209. ...न्यायाधीशों को कभी भी खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। हत्यारों को फाँसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आँकड़े, भले ही अधूरे हों, बताते हैं कि अतीत में, न्यायालयों ने चरम सीमा तक पहुँचाया है। अत्यधिक दुर्लभता के साथ दंड एक तथ्य है जो उस सावधानी और करुणा को प्रमाणित करता है जिसे वे इतने गंभीर मामले में

सजा देने के अपने विवेक का प्रयोग करते समय हमेशा बरतते हैं, इसलिए, व्यापक सहायता प्राप्त न्यायालयों के लिए इस चिंता को व्यक्त करना अनिवार्य है हमारे द्वारा बताए गए उदाहरणात्मक दिशा-निर्देश,हमेशा से अधिक सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करेंगे

शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य 356 और अन्य[टी.एस. ठाकुर, जे.]

मानवीय चिंता, धारा 354(3) में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च मार्ग पर निर्देशित है, अर्थात, हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए, आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से किसी की जान लेने के विरोध को दर्शाती है। दुर्लभतम मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो गया हो।" 56. मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एस.सी.सी 470 मामले में इस न्यायालय ने बचन सिंह के दिशानिर्देशों का पालन किया। मामला (सु.प्रा) और माना गया कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है, जब समुदाय की सामूहिक चेतना इतनी सदमे में हो कि न्यायिक शक्ति के धारकों से अपेक्षा की जाए कि वे इस संबंध में अपनी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड दें। सजा के विकल्प के रूप में मृत्युदंड को बरकरार रखने की वांछनीयता या अन्यथा इस न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों की गणना की जिसमें समुदाय द्वारा ऐसी भावना पर विचार किया जा सकता है:

"(1) जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।

(2) जब हत्या किसी ऐसे हेतु से की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है; जैसे पैसे या इनाम के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या; या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या, जिस पर हत्यारा प्रभुत्वशाली स्थिति में हो या विश्वास की स्थिति में हो; या मातृभूमि के साथ विश्वासघात के क्रम में हत्या की जाती है।

(3) जब किसी अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जिससे सामाजिक क्रोध उत्पन्न होता है; या "दुल्हन जलाने" या "दहेज हत्या" के मामलों में या कब हत्या को एक बार फिर से निकालने या किसी अन्य महिला से भ्रम के कारण शादी करने के लिए पुनर्विचार करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

(4) जब अपराध अनुपात में भारी होता है। उदाहरण के लिए जब कई हत्याएं, परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय, या इलाके के लोगों की एक बड़ी संख्या में, प्रतिबद्ध हैं।

(5) जब हत्या का शिकार एक निर्दोष बच्चा या असहाय महिला या पुरानी या दुर्लभ व्यक्ति या एक व्यक्ति है जिसे हत्यारा एक हत्यारा स्थिति में है, या एक सार्वजनिक व्यक्ति आम तौर पर समुदाय 57 द्वारा आम तौर पर प्यार और सम्मान करता है। फारोग उपनाम में कराटाफारूग और अन्य

बनाम केरल राज्य (2002) 4 एससीसी 697 यह न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां अपीलकर्ता को जेल गेट में एक कम परीक्षण कैदी पर एक बम फेंकने का आरोप लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु और गंभीर चोटें दूसरों के लिए। बच्चन सिंह केस में इस

न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हुए और माखी सिंह (सु.प्रा) के मामले में इस न्यायालय ने इस न्यायालय में कहा कि मृत्यु के चरम जुर्माना के लिए और तदनुसार सजा को सजा देने के लिए सजा की जानी चाहिए।

58. संतोष कुमार सतीशभशनबरियारबनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस.सी.सी 498 इस न्यायालय ने एक बार फिर इस विषय पर मामले के कानून की समीक्षा की और दोहराया कि यद्यपि मृत्युदंड को लागू करने के न्यायिक सिद्धांत एक समान होने से बहुत दूर थे, बुनियादी सिद्धांत जो जीवन कारावास नियम और मृत्यु जुर्माना एक अपवाद है, प्रत्येक मामले की परीक्षण के लिए आमंत्रित करेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दी जाती है जहां सुधार संभव नहीं है। ऐसे मामलों में न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार महत्व मानता है और उस जुर्माना के अपरिवर्तनीय चरित्र के कारण इसका अभ्यास बेहद मुश्किल प्रदान करता है। न्यायालय नेअभिनिर्धारित किया जहां दो विचारों को मृत्युदंड के संभावित रूप से लागू किया जाता है। उचित नहीं होगा, लेकिन जहां कोई अन्य विकल्प नहीं है और जहां सुधार संभव नहीं है वहां मृत्युदंड दी जा सकती है। बचन सिंह मामले और मच्छी सिंह (सु.प्रा) के मामले में विकसित सिद्धांतों को लागू करते हुए इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं में से एक को दी गई मृत्युदंड को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" परीक्षण को पूरा नहीं करता है। मृत्युदंड का पुरस्कार, तब भी जब पीड़ित के शरीर का क्षरण और उसके निस्तारण को क्रूर करार दिया गया था।

59. महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रकाश सखा वसावे और अन्य। (2009) 11 एस.सी.सी 193 भी एक ऐसा मामला था जहां इस न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह एक ऐसा मामला था, जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि उसने मृतक पर इतनी जोर से कुल्हाड़ी से वार किया था कि कुल्हाड़ी मृतक के सिर में लगी और कुल्हाड़ी का बेट भी टूट गया।

60. मामले पर आते हुए हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं पर मौत की अत्यधिक दंड अधिरोपित करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। हम एक से अधिक कारणों से ऐसा कहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अपीलकर्ता पेशेवर हत्यारे नहीं हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार भी वे क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफिया का एक हिस्सा थे जो कोयालवारी से कोयले की चोरी में लिप्त थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक इस तरह की गतिविधियों का विरोध कर रहा था, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उसकी हत्या कर दी गई। दूसरे, क्योंकि मृतक राजनेता था तब भी उसकी हत्या का कोई

राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था. तीसरा, चूँकि हत्या की श्रेणी में आने वाली सभी गैर इरादतन हत्याएं अमानवीय हैं, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हैं, फिर भी इसके निष्पादन के तरीके में ऐसा कुछ भी विशेष रूप से क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण नहीं था जिससे समुदाय

में तीव्र और चरम आक्रोश पैदा हो या हमलावरों की ओर से दुष्टता और नीचता को दर्शाते हुए अत्यधिक दंड की मांग की गई। चौथा, क्योंकि दोषियों को दी जाने वाली सज़ा के सवाल पर मतभेद था. विचारण न्यायालय ने इसे दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला नहीं पाया उचित नहीं होगा, लेकिन जहां कोई अन्य विकल्प नहीं है, और जहां सुधार संभव नहीं है, वहां मृत्युदंड दी जा सकती है। बचन सिंह मामले और मच्छी सिंह (सु.प्रा) के मामले में विकसित सिद्धांतों को लागू करते हुए इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं में से एक को दी गई मृत्युदंड को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" परीक्षण को पूरा नहीं करता है। मृत्युदंड का निर्णय, तब भी जब पीड़ित के शरीर का क्षरण और उसके निपटान को क्रूर करार दिया गया था।

59. महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रकाश सखा वसावे और अन्य। (2009) 11 एस.सी.सी 193 भी एक ऐसा मामला था जहां इस न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह एक ऐसा मामला था, जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि उसने मृतक पर इतनी जोर से कुल्हाड़ी से वार किया था कि कुल्हाड़ी मृतक के सिर में लगी और कुल्हाड़ी का बेट भी टूट गया।

60. मामले पर आते हुए हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं पर मौत की अत्यधिक सजा लगाना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। हम एक से अधिक कारणों से ऐसा कहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अपीलकर्ता पेशेवर हत्यारे नहीं हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार भी वे क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफिया का एक हिस्सा थे जो कोलियरियों से कोयले की चोरी में लिप्त थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक इस तरह की गतिविधियों का विरोध कर रहा था, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उसकी हत्या कर दी गई। दूसरे, क्योंकि मृतक राजनेता था तब भी उसकी हत्या का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था. तीसरा, चूँकि हत्या की श्रेणी में आने वाली सभी गैर इरादतन हत्याएं अमानवीय हैं, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हैं, फिर भी इसके निष्पादन के तरीके में ऐसा कुछ भी विशेष रूप से क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण नहीं था जिससे समुदाय में तीव्र और चरम आक्रोश पैदा हो या हमलावरों की ओर से दुष्टता और नीचता को दर्शाते हुए अत्यधिक दंड की मांग की गई। चौथा, क्योंकि दोषियों को दी जाने वाली सज़ा के सवाल पर मतभेद था. विचारण न्यायालय ने इसे दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामला नहीं पाया। केवल आजीवन कारावास की सजा से संतुष्ट रहीं, जिसे उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया। इन सभी

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्यु की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित योग्य है।

61. परिणामस्वरूप, हम अपील के तहत निर्णयों और आदेशों की इस उपांतरण के साथ पुष्टि करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड के बजाय, अपीलकर्ताओं को कठोर आजीवन कारावास

भुगतना होगा। तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं, लेकिन केवल आंशिक रूप से और ऊपर बताई गई सीमा तक।

बी.बी.बी. अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

<u>**यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।**</u>